साक्षात्कार - 7

नाम : शांति देवी
आयु : 35-40 वर्ष
स्थान : उरीमारी
भेंटकर्ता : दावलेन मिंज़

शांतिदेवी का घर खदान के किनारे होने के कारण हर वक्त शोरगुल से ग्रस्त रहता है। यह 5 बच्चों की माँ हैं- 3 लड़के और 2 लड़कियाँ। इनके 2 लड़के सीसीएल में बतौर डम्पर ऑपरेटर और लोडर काम करते हैं। शांति देवी अधिक पढ़ी लिखी न होने के बावजूद बहुत जागरूक महिला हैं। इन्होंने एक सुखी सम्पन्न परिवार से होने के बावजूद सीसीएल से संघर्ष करने में काफी कष्ट काटे हैं।

हमारे गाँव में सब जाति के लोग रहते हैं- आदिवासी संथाल, करमाली, प्रजापति और तेली, इत्यादि। हम लोगों की काफी जमीन तो खत्म हो गई है लेकिन जो कुछ बची है उसमें हम खेती बारी करते हैं। धान लगाते हैं, मकई लगाते हैं। जिन के पास कुआँ है, वे साग सब्जी भी लगाते हैं। पर यहाँ पानी के साधन की कमी है।

पहले यहाँ बहुत जंगल था। वहाँ से हम लोग जलावन के लिए लकड़ी ले कर आते थे। अब तो सीसीएल ने सब जंगल खत्म कर दिया है। लकड़ी लेने कहाँ जाएँगे ? डिपो से कोयला लाते हैं। कोयला नहीं ले लाएँगे तो खाना कैसे बनाएँगे ? बच्चों को कैसे खिलाएँगे ?

अभी तो हम लोग अपनी गुजर बसर के लिए सभी कुछ करते हैं। खेती के दिनों में खेती करते हैं और जब काम खत्म हो जाता है तो डिपो चले जाते है गाड़ी भरने। दंगल तो हम लोगों का नहीं है, एक दो फ्री गाड़ी मिलती है, उसी को लोड करते है। वैसे खदान

के आने से हमारा नुकसान ही हुआ है। खेती बारी तो खत्म हो ही गयी है, घर द्वार का भी नुकसान हुआ है। सामने ब्लास्टिंग होने से यहाँ कोयला और पत्थर गिरता है। सारा घर हिल जाता है और टूटने लगता है। बच्चों को चोट लग जाने का बहुत डर रहता है। इसलिए खदान आने से फायदा कम घाटा ज्यादा हुआ है।

अगर यहाँ से दूसरी जगह जाएँगे तो सब लोग इधर उधर हो जाएँगे

यह जगह तो हमारे माँ बाप की बनाई हुई जगह है। यहाँ हम अच्छे से रह रहे हैं। अपने बच्चों को बड़ा करा और उनके बच्चों को भी बड़ा कर रहे हैं। कई पीढ़ियों से हम यह जगह देखते आ रहे हैं। दूसरी जगह पता नहीं कैसी हो ? वहाँ हम लोग कैसे रहेंगें, बच्चे कैसे रहेंगे ? हम लोग तो कुछ ही समय के लिए हैं लेकिन बच्चे तो आगे तक के लिए हैं। उनका समय कैसे बीतेगा ? अभी तो हम पूरे गाँव के लोग एक ही जगह हैं। अखाड़े में मिल कर नाच गान करते हैं, सब त्योहार मनाते हैं। एक दूसरे के घर खाते पीते हैं, हर चीज में एक दूसरे की मदद करते हैं। कही और जाएँगे, रात बिरात किसको आवाज देंगें ?

जहाँ भी जाएँगे, वहाँ के लोगों से रिश्ता जोड़ने में परेशानी होगी। नए लोगों के साथ कैसे उठना बैठना होगा यह सब सोचना होगा। खदान आने से सब दुख तकलीफें शुरू हो गयी हैं। पहले हम लोग यहाँ की महिलाएँ हर काम एक साथ करते थे। एक साथ ही रहते थे। धान रोपने में, मकई कोड़ने में साथ रहते थे। अदला बदली सबका काम करते थे। अगर दूसरी जगह जाएँगे तो हम महिलाएँ एक साथ जुट नहीं पाएँगी न ही साथ काम कर पाएँगी। वैसे भी अब हम कुछ काम नहीं करते। थोड़ा मोड़ा लोड करने चले जाते है।। हमारा पहले का खेती वाड़ी का काम अच्छा था। सेल गाड़ी का क्या है। आज है, कल अगर बंद हो जाएगी तो क्या करेंगे ? खेतीबारी रहती तो जो भी उपजाते वही खुद खाते और बच्चों को भी बढ़िया से खिलाते।

हम महिला लोग लड़ने के लिए हमेशा आगे आए

यहाँ खदान 20 साल से चल रही है। यह गंधौनी से शुरू हुई थी। फिर यह आगे

बढ़ती गई। जैसे जैसे नेता लोग बात करते रहे, खदान आगे बढ़ती रही। बाहर के नेता और गाँव के नेता सब आपस में मिल गए। वे लोग क्या बात करते थे, गाँव में किसी को जानकारी नहीं थी। जब गंधौनी में खदान खुली हम सबने मिल कर विरोध किया। लेकिन जैसे जैसे खदान का एरिया बढ़ता गया, उस उस एरिया का आदमी नेता बनता गया, लेकिन जैसे जैसे नेता लोग बढ़ते गए वैसे वैसे खदान भी बढ़ती गई।

पहले हम लोग हेसाबेड़ा की, उरीमारी की और दियाटोला की महिलाएँ एक साथ मिल कर लड़ती थीं। हम लोग कहते थे कि ज़मीन की बदले नौकरी चाहिए, घर के बदले घर चाहिए, घर और ज़मीन का सही मुआवज़ा चाहिए। हमें जहाँ विस्थापित किया जाए वहाँ रोड, बिजली, पानी, कुआँ, चापाकल, स्कूल, अस्पताल चाहिए। जैसे सीसीएल अपने ऑफिसरों को सब सुविधा दे कर अच्छे से बसा रही है, वैसे ही हमें भी बसाए। हम महिला लोग लड़ने के लिए आगे रहती थीं और जहाँ हम नहीं पहुँचती थीं वहाँ यह सब बातचीत भी नहीं होती थी। पुरुष लोग कुछ ज्यादा बोलते तो उन पर केस हो जाता। महिलाओं पर जल्दी केस नहीं होता और जेल में भी नहीं बंद करते, इसलिए नेता हम ही लोगों को आगे रखता था। महिलाओं में बहुत ताकत है। खाना पीना छोड़ कर, बाल-बच्चे छोड़ कर, हम रात रात भर बाहर रह कर कष्ट सहती थीं। तपस्या करतीं थीं। पुरुष लोग तो जहाँ पहुँचे वहाँ पूरी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई न हो इसलिए महिलाएँ आगे रहतीं। जब हमसे नहीं होता था तब नेता पुरुषों के साथ आगे जाता था।

शुरू में यह दो खदाने नहीं थीं। यह सारी एक ही खदान थी। तब हम भी साथ ही लड़ते थे। पहले निर्मल यादव मुखिया था। फिर गाँव का एक और नेता खड़ा होने लगा। उसने हमें समझाया कि निर्मल यादव बाहरी आदमी है। हम आदिवासी हैं, हमें अपना नेता चुनना चाहिए जो हमारी बात समझ कर हमारा हक दिला सके। फिर यह भी बात थी कि वह काँग्रेसी है और हम झारखण्डी। तो हमने अपने आदमी को नेता बनाया फिर भी हम काँग्रेसी और झारखण्डी महिलाएँ सब मिल कर लड़ती थी। अपने नेता की हमने बात सुनी, बात रखी भी और बहुत लड़ाई की लेकिन फिर भी हम लोगों को कुछ नहीं मिला। हम लोग

चाहते थे नॉर्थ खदान अलग हो जाए। जेल तो खैर महिला लोग नहीं गए, जैसे कि पुरुष गए थे लेकिन हमने मार भी खाई और गाली भी सुनी। जहाँ नेता बोलता था वहाँ हम जाते थे। अगर साहब कोलियरी में नहीं रहता था, तो उसके घर जा कर लड़ते थे, उसके डेरे में भी धरना देते थे। हम महिला लोग पूरा साथ दिए हैं, रात दिन धूप पानी में कष्ट काटे हैं तब कहीं जा कर नॉर्थ खदान अलग हुआ है।

अगर सही नेता है तो हमें दबाता क्यों है ?

कितनी तकलीफ हुई हमें धरना देने में। भूखे प्यासे रहते थे, रात रात घर से बाहर रहते थे। कई लोग बाहर से आते और पूछते कि हम क्यों धरना दे कर बैठे हैं। लेकिन हमारे नेता ने हमसे कह रखा था कि कोई पूछे तो कह देना कि हमें नहीं मालूम, हमारे नेता से बात कीजिए। हम समझ नहीं पाते थे कि नेता किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है। लेकिन फिर भी हम सोचते थे कि कुछ बात तो है जो हमको बोलने नहीं देता है। अगर हमारी माँग सही है और यह सही नेता है तो हमको दबाता क्यों है? अगर हम लोगो की दुख तकलीफ हम दूसरे लोगों को नहीं बोलेंगे तो उन्हे इसकी जानकारी कैसे होगी ? जिन जिन चीजों के लिए हमने लड़ाई की वो सब हमको कुछ नहीं मिला। हम लोगों ने कुछ दिन कोलियरी को बंद भी करवाया। एक दो साल बंद रही। फिर नेता लोगों ने क्या बात विचार किया यह हमको मालूम नहीं, लेकिन उनके बात करने के बाद खदान फिर बढ़ने लगी। नेता लोगों के साथ हम जाते तो थे लेकिन जहाँ जगह ज़मीन, पुनर्वास, वगैरह की बात होती थी वहाँ हम लोगों को जाने नहीं देते थे। अकेले ही बात करते थे। हम लोग सुन नहीं पाते थे। हमें सिर्फ सेल गाड़ी के बारे में बात करने का हुक्म दिया था। नौकरी और पुनर्वास के बारे में हमें जानने नहीं दिया। फिर गाँव आता था कागज पत्र ले कर और लड़का लोग से बातचीत कर के चला जाता था। पहले तो हम महिला पुरुष लोग सब मिल कर आवाज़ उठाते थे। लेकिन अब तो वहाँ न उठते बैठते हैं, न बातचीत करते हैं। नेता लोग ने तो आजकल लड़का लोग को फुसलाया है। आजकल लड़कों के साथ ही बातचीत होती है, महिलाओं से नहीं। जैसे नेता लोग बोलते हैं उसी के अनुसार लड़के चलते हैं।

यह ज़मीन हमारे माँ बाप मेहनत कर के हमारे लिए बनाए। इसी में हम जी खा रहे थे। लेकिन अब तो यह सीसीएल की हो गई। सब कुछ खत्म हो गया है। हम लोग भी कितना लड़ेंगे ? नेता लोग बात विचार कर चुके हैं। जो यहाँ के मेन आदमी हैं उन्होंने ही यह सब किया। सीसीएल तो एक बार फिर भी हमें छोड़ देती लेकिन नेता नहीं छोड़ते। अंदर ही अंदर बात करते ही रहते हैं। कुछ न कुछ फायदा उनको होता ही है तब ही तो कोई रोक टोक नहीं की। वही आदमी जिसको हमने ही बड़ा बनाया, नेता बनाया, वही अब सिर्फ बाहरी लोगों की बात सुनता है, उन्हीं का फायदा करवाता है। हमको बुड़बक बना दिया।

हम उनका समर्थन करना नहीं चाहते लेकिन क्या करें ? अभी कुछ थोड़ा बहुत तो मिल रहा है, नहीं करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तब कहाँ जाएँगे ?

शान्ति देवी उरीमारी कोल डिपो में मज़दूरी करते हुए।

साक्षात्कार - 8

नाम : मंजू देवी
आयु : 40 वर्ष
स्थान : अगरिया टोला
भेंटकर्ता : सिस्टर बीना स्टैनिस

40 वर्षीय मंजू का विवाह बहुत छोटी उम्र में हो गया था। इनके पिता लोहार थे। इनके पति छोटी ही उम्र के थे जब इनके ससुर का देहान्त हो गया। तब से घर की देखभाल का ज़िम्मा इन पर और इनके पति पर ही है। मंजू के 4 बच्चे हैं जिनमें से एक की बहुत अल्पायु में ही मृत्यु हो गई। अपने दूसरे लड़के के जन्म के बाद से ही मंजू विभिन्न रोगों से परेशान हैं। इनकी जीविका कोल डम्प से कोयला चुरा कर बेच कर चलती है।

मेरा मायका बुडगढ़ा, बोकारो में पड़ता है। मेरे पिता लोहार थे। टाँगी बनाते थे, फर बनाते थे, मुठिया बनाते थे, गैती, हँसुआ, वगैरह बनाते थे। हम दो बहन और चार भाई थे। हमारे पिताजी का देहान्त हो गया। नए नए ओझा थे, किसी के घर भूत भगाने गए थे, कड़ा चरा रहे थे, पीछे से भूत ने मार दिया। जब मेरे पिताजी लोहे का सामान बेचते थे तो उसी से धान खरीदते थे। पूरा घर भर जाता था। साल भर खाते थे। एक ढेकी में धान, एक ढेकी में मकई और एक ढेकी में बाजरा रहता था और घड़े में महुआ। जब पिताजी मर गए तो धान भी खत्म हो गया। जब हम छोटे ही थे तभी से गाय बकरी चराते थे, लकड़ी लाते थे और मिट्टी भी ढोते थे।

जब हम छोटे ही थे, ठीक से कपड़ा भी नहीं पहनना आता था तभी हमारी शादी कर

दी। उसके बाद भी एक साल माँ के घर रहे। तब कुछ खाना बनाने की, घर संभालने की अक्ल आई। तब हमारे पति भी छोटे ही थे। तभी हमारी ससुराल में हमारे देवर और ननद की मृत्यु हो गई। हमारे गौने पर हमारी सास खूब रो रही थीं। ससुर पहले से ही नहीं थे।

पहले शादी में उतना सामान नहीं देते थे

हमारी शादी में 7 दिन का लगन बंधाया। जैसे आज की रात मड़वा हुआ तो आज की रात ही बारात गया। मड़वा में पहले घीढरी नहीं होता था। रात में ही बारातियों का स्वागत हुआ। और सुबह सुबह किरण निकलते ही शादी हुआ। पहले सुबह ही शादी होती थी। सुबह सुबह घुमावन हो कर, खाना पीना हो कर विदाई हो गई। तब बड़ी साधारण शादी होती थी। इतना थाली-बर्तन नहीं देते थे। हमको 1 थाली, 1 लोटा, 1 डुबी और लड़के को 1 धोती, 1 गमछा और 1 शर्ट मिला था। अगर मन हुआ तो घड़ी वगैरह देते थे वरना वो भी नहीं। दुल्हन भी शादी में हल्दी रंग का मोटा वाला साड़ी पहनती थी। कोई छींट वाला रंगीन साड़ी नहीं पहनती थी। हमने तो अपने पति को देखा भी नहीं था। जब सिंदूर दे रहा था तब भी नहीं देखा क्योंकि सिर ढका हुआ था। बाद में देखा। हमारा तो गौना भी 1 साल बाद हुआ। अब तो मड़वा में ही गौना कर देते हैं।

जब मैं नई नई आई थी तो मुझको अच्छा नहीं लगता था। बाद में तो हमारी साथ की फूलकी, जेठनी, रतनी भी ब्याह के यहीं आ गई, लेकिन तब कोई नहीं था। मानवा, जिरूआ यही लोग थीं जो हम से एक साल पहले ब्याह कर के आई थीं। तब यहाँ पूरा जंगल था। जगह जगह में पानी था। हर जगह बांध, पोखर और डाड़ी थी। जलावन के लिए लकड़ी उपयोग करते थे। घड़े से पानी लाते थे। और मिट्टी वाली हंडिया में खाना पकाते थे। तब मैं कोयले का चूल्हा जलाना भी नहीं जानती थी। सास देर से उठती थी, कैसे कहें कि चूल्हा जलाना नहीं जानते। लकड़ी वाला चूल्हा जलाना हमको आता था लेकिन ये कोयले का चूल्हा हम नहीं जला पाते थे क्योंकि इसमें आँच बहुत होता है और हमको जलने का डर लगता था।

हमारे ससुर टाटा में काम कर रहे थे। उनके पास बड़ा बड़ा बकरा भी था। पूरा

खानदान वही देखते थे। लेकिन बुड़बक थे, कभी पैसा नहीं बचा पाए। वह रहते तो मेरे पति भी कुछ पढ़ लिख पाते। लेकिन उनके न रहने से वह भी पढ़ाई छोड़ दिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इसीलिए अपना लड़का को मैं पढ़ा रही हूँ। 2 बार मैट्रिक फेल हो चुका है। अब तीसरी बार फिर परीक्षा देगा। पास होगा तो अच्छा है, नहीं तो क्या करेगा ? लेकिन मेरा लड़का थोड़ा होशियार है, दारू-वारू नहीं पीता है। मेरी बीमारी में 20000 रु का जुगाड़ भी किया। मैं दवा खा रही हूँ लेकिन खाँसी ठीक नहीं हो पा रही है। देखिए हम खाए हैं बाजरे का गट्टा, सफेद दाने वाला, सिलवार साग, काना साग और मकई। यही खा कर हमारा शरीर बना है। अब हम खाते हैं दाल-भात। पहले मिट्टी की हाँडी में बनाते थे और लकड़ी का जलावन होता था। अभी कोयला से खाना बनता है तो बीमारी तो फैलेगी ही।

मुझे कहने लगे कि मैं डायन हो गई हूँ

एक बार बच्चे खेल रहे थे। जिरूआ के लड़के ने मेरे मंझले बेटे को पेड़ से गिरा दिया। काफी चोट आई। टाँके भी लगे। पुलिस केस भी बन सकता था, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। उसके कुछ दिन बाद जिरूआ का लड़का बिजली का तार छू जाने से मर गया। बस तभी से कहने लगी कि मैं डायन हूँ, उसके लड़के को मैं ने खा लिया। इतना बोली, इतना झगड़ा किया कि मेरे पति मुझे दिखाने रामगढ़ ले गए ओझा के पास। जेठनी का परिवार और पड़ोस वाले भी गए थे। दोने में चावल ले गए थे। सब लोग कहने लगे इसने सीखा है, डालिया बाँध दो। लेकिन ओझा ने साफ इंकार कर दिया। कह दिया कि हम चावल फेंके दे रहे हैं। जब इसने डायन वाला कुछ सीखा पढ़ा ही नहीं है तो कैसे कह दें कि यह डायन है।

जब वहाँ से आए तो खूब जोर से लड़ाई हुई। मुखिया सरपंच के सामने भी बात हुई लेकिन झगड़ा फिर भी समाप्त नहीं हुआ। तीन तीन बार मुझे ओझा को दिखा दिया है। सबके सामने ओझा लोग बोल दिए हैं कि मैं डायन नहीं हूँ लेकिन इन लोगों को तो समझ ही नहीं आता। हर बार हमारा कितना पैसा खर्च हुआ है। लिखा-पढ़ी भी हो चुकी है और

बाकायदा बॉण्ड हुआ है कि कोई किसी को डायन नहीं बोलेगी। जो बोलेगी उसको 500 रु दण्ड देना होगा। गोतिया होने पर भी हमारा उन लोगों के पास कोई आना जाना, लेना-देना, खाना-पीना नहीं है। मृत्यु के समय में भी शामिल नहीं होते हैं। बस किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता है।

रोजी रोटी के लिए कोयला बिक्री करते हैं

घर में पहले साग सब्जी टमाटर होता था, शकरकन्दी होती थी, मड़वा मकई भी खूब होता था। मकई से ही आधा गुजारा हो जाता था। अब तो खेत ही नहीं बचा। बोरा बोरा भर के साग, गेठी, ठेना, महुआ जंगल से लाते थे। घर भरपूर रहता था। अब जंगल को खदानों ने खत्म कर दिया है। कहाँ जाएँगे ?

पहले खदान छोटी थी। अब बढ़ बढ़ कर यहाँ तक आ गई। हम लोग की जमीन भी चली गई लेकिन बदले में नौकरी भी नहीं मिली। महादेव के बाप ने सिर्फ सुमन और ननकी के पति, 2 लोगों को नौकरी दिलवाई। मेरे पति को नहीं दिलवाई। इसलिए हमको तो कोई फायदा हुआ नहीं। खदान होने से हर चीज की तकलीफ हो गई। अभी जेठ बैसाख आएगा तो कुएँ में भी पानी नहीं रहेगा - सूख जाएगा। पहले पानी डाड़ी से लाते थे। पुरखों के समय से वही डाड़ी थी। जेठ बैसाख में वही झरना पानी पूरा करता था। तो डाड़ी को टाटा ने बिलकुल तोड़ के धंसा दिया। डाड़ी खत्म हो गयी सब कुछ खत्म हो गया। हमने बहुत कोशिश की बचाने की, कितना कहा कि हमारा डाड़ी को छोड़ दो, लेकिन वो नहीं माने। धंसा दिया।

बहुत परेशानी है। कमाई का कोई साधन नहीं है। राशन पानी भी नहीं जुट पाता है। कल घर में चावल नहीं था। चिवड़ा खा कर रह गए। जेठनी एक पैला चावल दी तब खिचड़ी बनाई है। पति और हम जीविका के लिए खदान से कोयला चुरा कर बेचते हैं। ढो कर लाते हैं। काटते हैं, चढ़ाते हैं। एक-दो दिन वहाँ छोड़ देते हैं। तीन चार लोग होते हैं, एक नीचे से लाता है, एक पकड़ कर ऊपर करता है। तीन जगह में जमा करते हुए लाते हैं। कितनी मुश्किल से बोरे रोड पर लाते हैं तो वहाँ पुलिस वाला मिल जाता है। 2 बोरे वोही उठा ले

अगरिया टोला में ताज़े पानी का झरना (4.4.1999)।

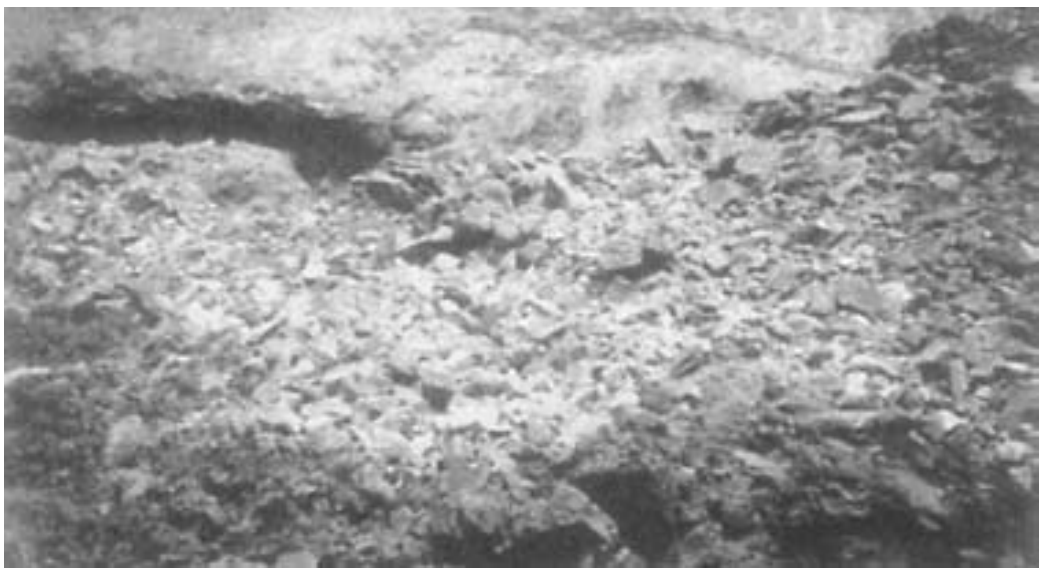

टिस्को मशीनों द्वारा झरने का नाश (31.5.1999)।

जाते हैं। हम कहते हैं कि भैया तुम लोग की तो नौकरी है, हम तो गरीब हैं। गरीब होने से ही तो यह काम कर रहे हैं नहीं तो क्यों करते, पर वो नहीं सुनते। उठा कर ले जाते हैं। उनको तो पैसा मिलता है, हम तो रात दिन भूखे रहते हैं। हफ्ते दो हफ्ते में 12 बोरे होते हैं, उससे कितने दिन चलेगा ? उसी से खाना पीना, मज़दूरी, महाजन, शादी ब्याह पढ़ाना-लिखना, कपड़े-लत्ते, सब कुछ उसी से। अब न खेती बारी बची, न घर ज़मीन। अब सुनते हैं कि सीसीएल भी आएगी। यह घर, वो घर अलग, खेती बारी अलग लिखवाएगी तब हम क्या करेंगे ? यही चिंता खाए जाती है कि आगे हमारा क्या होगा?

साक्षात्कार - 9

नाम : मनबहल करमाली
आयु : 50 वर्ष
स्थान : चिरैयाटाँड
भेंटकर्ता : शंकर गंझू

मनबहल करमाली मंगरदाहा से विस्थापित हो कर यहाँ चिरैयाटाँड आए हैं। इनका दो बार विवाह हो चुका है और इनके 7 बच्चे हैं – 4 लड़के और 3 लड़कियाँ। 2 लड़कियों और 1 लड़के के अलावा सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। इनके पिता खेती करने के साथ साथ कोयला कम्पनी के लिए भी काम करते थे। इनके दादा पशुपालन करते थे। यह भी दादा के समान ही खेती व पशुपालन करना चाहते थे किंतु पिता के जोर देने पर इन्हें खदानों में काम करना पड़ा। इन्हें विस्थापित होने से बहुत कष्ट हुआ है और भविष्य के प्रति इनके मन में निराशा है।

हम लोग तीन पीढ़ी से मंगरदाहा में रह रहे हैं। बड़े बूढ़े बताते हैं कि हमारे पुरखों का घर बेंती में था लेकिन हम तो अपने को मंगरदाहा के ही खास बाशिंदा मानते हैं। हमारे पिताजी कोयला कम्पनी के लिए काम करते थे। उन दिनों कम्पनी ठेकेदारी से चलती थी। हमारे पिताजी हिसाब किताब में अच्छे थे और अपनी ईमानदारी के लिए वह जाने जाते थे। सब उन्हे 'मुंशी जी' कहा करते थे। इस क्षेत्र का जानकार होने के कारण वह कम्पनी के लिए लेबर खोज कर लाते थे जिसपर उन्हें 3 रु प्रतिदिन और कुछ कमीशन मिलती थी। उसी से वह हम सबका पालन पोषण करते थे। बरसात भर खेती करते थे और धान कटने के बाद फिर कम्पनी के लिए काम करते थे।

जब हम छोटे ही थे तभी हमारी माँ का स्वर्गवास हो गया था। तब हमारे दादा के पास 20 जोड़ी गाय और 2 जोड़ी बैल होते थे। हम वही चराया करते थे। हमको गोरखी करना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन घर में खाने पीने की समस्या होने के कारण हम पढ़-लिख नहीं पाए। हमारे पिताजी को शहनाई का बहुत शौक था। उनके जैसा शहनाई बजाने वाला दूसरा नहीं था। वह दूसरी शादी कर के सौतेली माँ घर में लाए। दूसरी माँ के भी 3 बच्चे हो गए। पिताजी शहनाई बजाने के लिए इधर-उधर घूमते रहते थे। घर और बच्चों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था। हम अपनी गायों के साथ साथ 1 राजपूत घर की और 2 गंझू घर की गाय भी चराते थे तो उसी से हमारा खानापीना खर्चा निकल आता था लेकिन जब शादी होने को हुई तो पिताजी ने बोला अब काम करो। उन्होंने हमको खदान में भेज दिया। उनकी काफी इज्ज़त थी, इसलिए हमको उनके नाम पर ही नौकरी मिल गई। शुरू में तो हमें खदान में अंदर अंधेरे में जाते हुए बहुत डर लगता था फिर बाद में धीरे-धीरे आदत पड़ गई। हम झूठ नहीं बोलेंगे, जब से हम काम पकड़े हैं तब से लेकर अब तक एक भी गैरहाजिरी हमारे रिकॉर्ड में नहीं है।

अगर गाँव में फूट न होती तो हम विस्थापित नहीं होते

मंगरदाहा में हम अच्छे से खाते पीते थे और हर चीज की सुविधा थी। सब एक दूसरे की मदद करते थे। अगर मेरे घर में रात को खाना नहीं है और मैं किसी के घर माँगने जाऊँ तो वह रात के लिए ही नहीं अगली सुबह के लिए भी मकई और चावल दे देता था। यहाँ तो आप छटपटा के मर जाइए लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है। शादी विवाह में सब एक दूसरे की मदद करते थे। कोई चावल दे कर, कोई लकड़ी देकर, कोई बकरी दे कर, तो कोई काम में हाथ बंटा कर। आजकल वैसा नहीं है। पहले जिस के पास ज़मीन नहीं थी वह भी साझेदारी में खेती कर के खाने लायक कमा ही लेता था। अपने खाने के बाद जो बच जाता था वह खेत के मालिक को दे देते थे, नहीं बचता तो नहीं देते। । वहाँ तो सभी प्रकार की सुविधा थी। यहाँ पर कुछ नहीं है। हम लोग वहाँ से कभी नहीं उठते

अगर गाँव वालों में फूट न होती।

हम लोगो में आपस में बहुत लड़ाई हो गई। जैसे किसी के पास 6 एकड़ जमीन है और 2 बेटे हैं तो दोनों को नौकरी मिल जाएगी। मेरे पास 6 एकड़ जमीन है लेकिन 4 बेटे हैं तो कैसे होगा ? अभी इस बात पर सोच विचार हो ही रहा था कि दो बेटों वालों ने हामी भर दी। पहले समय में किसी के पास 2 एकड़ जमीन होती या किसी के पास 10 एकड़, दोनों की एक ही तरह गुजर बसर होती थी। पहले सीसीएल के साहब लोग बोले कि मंगरदाहा वालों में 75 लड़कों को नौकरी दी जाएगी। हमने सोचा इतने तो होंगे नहीं 50 हो जाएँगे। चलो 50 को नौकरी ले लेने दो जो 25 बचेंगी तो जिसकी ज़मीन ज्यादा गई है वो अपने दामाद रिश्तेदारों को दिलवा देंगे। लेकिन बात विचार करने में ही मतभेद हो गया। एक जीतन उराँव का 27 एकड़ ज़मीन निकल आया। उसका मात्र 2 ही लड़का था। मुसलमान लोग की ज़मीन भी ज्यादा थी। वे लोग लड़ने लगे कि मनबहल का ज़मीन 3 एकड़ ही है फिर भी 4-6 लोगों को नौकरी होगा और हम जो इतना ज़मीन दे रहे हैं हमें सिर्फ 2 ही नौकरी मिलेगी, इसलिए एकड़ के हिसाब से नौकरी होनी चाहिए। फिर हमने भी दिल पर पत्थर रख लिया कि जिस लड़के को इतना पेट काट कर पढ़ाए लिखाए उसी को नौकरी नहीं है। पर क्या करें, जब अपना गाँववाला ही मदद नहीं कर रहा, लड़ाई कर रहा है तो क्या कर सकते हैं ? हम लोग के मतभेद और आपसी फूट और स्वार्थ ने सब गड़बड़ कर दिया। और धीरे धीरे सीसीएल ने सब कुछ ले लिया। हमको मंगरदाहा से उठा दिया।

जब पहले दिन हमें विस्थापित किया तो हम बहुत रोए। जब डोजर से हमारा घर धांसने लगे तो आसपास कोई नहीं था। हमारे दिल में जो दुख हुआ वह हम ही जानते हैं। यही सोच कर रोने लगे कि यह हमारा घर था, अब कहाँ घर बनाएँगे ? वहाँ तो बहुत फर्क हो जाएगा। पता नहीं जगह फलेगी कि नहीं, कौन जाने परिवार, बच्चे जिएँगे कि मर जाएँगें। दिल में बहुत अफसोस था। फिर सोचा कि रोने से क्या फायदा ? भगवान तो है ही, जो सबका होगा वही हमारा हो जाएगा।

न जाने वो समय कहाँ चला गया

मंगरदाहा में राजपूत, मुसलमान, करमाली, उराँव, भुईंया, गंझू, वगैरह, सब जाति के लोग रहते थे। लेकिन हमारा संगठन बहुत अच्छा था। एक दूसरे की मुसीबत के समय में सब दौड़ के जाते थे, मुसलमान लोग भी। लड़ाई झगड़ा होता भी था तो आपस में सब सुलझा लेते थे। हर मौसम में कमाई करते थे। अगहन-पूस में सरगुजा-कुर्थी, फागुन में महुआ, फिर जेठ बैसाख में लाह कटने लगता। फिर खेती का मौसम शुरू हो जाता तो एक दूसरे के यहाँ मदद, मज़दूरी करते। सब पर्व त्यौहार अच्छे से मनाते और सुख से रहते थे।

लेकिन यहाँ पर्व त्यौहार नहीं मनता। करमा भी अच्छे से नहीं मनाते। वहाँ तो सूरज डूबने के बाद से सब के घर में पुआ पकौड़ी बनता था। सब लोग नया साफ कपड़ा पहनते थे। जातरा मेरे ही घर से निकलता था। हमारे घर में चाचा - पिताजी वगैरह सब लोग रसिक शौकीन थे। कोई मंजीरा, कोई ढोल, कोई नगाड़े बजाता था और मेरे पिताजी जैसी शहनाई तो कोई बजा ही नहीं सकता था। हमारे आज्जा गीत गाते थे। जब लड़की लोग करमा का पूजा कर के आती थीं तब हम अखाड़े में जाते थे और नाचते गाते सुबह के 8 बजा देते थे। आधी रात को चटिया उठता था और पाहन बोल देता था 8 बजे से पहले

तब और अब में बहुत फर्क है।

पहले बड़े बूढ़े सब झगड़े आपस में सुलझा लेते थे। कोई भी बात गाँव से बाहर नहीं जाती थी। पहले हम डरते थे, हमें बाहर के लोगों से बात करना भी नहीं आता था। अब तो बात-बात पर थाना कचहरी हो जाती है। पहले तो हम पुलिस को देखते ही छुप जाते थे। अब हमारे लड़का लोग को ज्यादा ज्ञान है। तरीके तरीके से पहनावा ओढ़ावा खान-पान बढ़िया कर रहे हैं। अभी तो बाप लोग कमा रहा है। लड़का लोग खा पी कर घूम रहा है। वे लोग मेहनत नहीं करना चाहता। इसलिए नहीं चाहता है कि खेती बाड़ी कर के गुजर हो। पर जब अपना बाल बच्चा हो जाएगा तो फिर खाना खुराकी के लिये खुद ही सोचेगा। माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे?

बलदेव गंझू — 50 वर्ष — हड़गड़ी टोला

चटिया चला आना चाहिए और तब तक वहाँ झूमर लगा ही रहता था। मगर कहीं भी जाता 7 बजे तक चटिया चला आता था। उसके बाद करमा बहा कर बकरा काटते और खूब खाते पीते। तब राजपूत लोग भी खेलते थे और मुसलमान लोग भी। सब मिल कर रहते थे।।

करमा तो अब भी गड़ता है लेकिन वैसा नहीं । न जाने वो समय कहाँ चला गया। अब तो न कोई नाचने-गाने वाले हैं न कोई बजाने वाले। लोगों ने टीवी खरीद लिया है। और उसी में फिल्मी देख कर कहते हैं बहुत अच्छा है। हम मन में सोचते हैं कि तुम लोग देखे ही क्या हो ? दूसरों का नाच देख कर कह रहे हो अच्छा है। जब तक अपना वाला नहीं है क्या मजा आएगा ? हमारा अब भी नाचने को मन तरसता है लेकिन कोई बजाने वाला नहीं है। जातरा देखते हैं तो पाते हैं वहाँ कुछ नहीं है, फिर वापस आ जाते हैं। लड़का लोग को बोलते हैं कि करमा के नीचे नाचो गाओ तो हमको बुड़बक समझते हैं।।

सीसीएल ने यहाँ किसी चीज की व्यवस्था नहीं की है। पहले आश्वासन दिया था कि रोड, पानी, बिजली और घर पर चापाकल लगा कर देंगे। कोयला गिरा कर देंगे और यदि नहीं गिराएँगे तो घर पर कार्ड बनवा कर देंगे। गाड़ी अस्पताल सब चीज का व्यवस्था हो जाएगा। पर कुछ भी नहीं दिया है। पानी है ही नहीं, बिजली दिया तो वो भी हफ्ता हफ्ता बंद रहती है। जब बार बार बोलते हैं तब देते हैं।। रोड की हालत आप खुद देख रहे हैं। बरसात में दलदल बन जाता है और घर में झरने चलने लगते हैं। बस किसी प्रकार रह रहे हैं। कोयला प्रदूषण से बीमार पड़ रहे हैं सो अलग।

सीसीएल ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। ज़मीन भी ले लिया और घर भी उजाड़ दिया। हमारे साथ जो हुआ है उसका दुखदर्द सिर्फ हम लोग ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता।

साक्षात्कार - 10

नाम : मुन्नू मांझी
आयु : 72 वर्ष
स्थान : लोपोंगटांडी
भेंटकर्ता : फ़िलन होरो

लोपोंगटांडी 3 तरफ से जंगल से घिरा हुआ एक रमणीय स्थल है। यहाँ अभी सीसीएल का आगमन नहीं हुआ है। वृद्ध मुन्नू माँझी यहाँ के संथालों के जोगवा हैं। इन्हें जड़ी-बूटी, इत्यादि का काफी ज्ञान है। इन्हें कई प्रकार का तजुर्बा है - इन्होंने कोयला लोड किया है, रोडवर्क में काम किया है और किसी साहिब के यहाँ भी कार्यरत रहे हैं। यह छोटी उम्र में ही माँ-बाप की छाया से वंचित हो गए थे और इनका बचपन अपने मामा के साथ बीता। इनके स्वयं के 3 बच्चे हैं जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है।

मेरा जन्म धमनसरिया में हुआ। वहाँ हमारे पिताजी के बड़े-बड़े मकई के खेत थे। खेती से ही हमारी जीविका चलती थी। हम छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे, तब हम अपने मामा के पास फूसरी आ गए। वहीं हमारी परवरिश हुई। वहीं मेरा विवाह हुआ। ससुराल मेरी लोपोंगटाँडी में थी। हमारी एक बच्ची जन्मी थी। वह मर गई, उसी समय मेरी पत्नी भाग कर अपने मायके आ गई। पहले मैं भी गुस्से में आ गया। सोचा उसे छोड़ दूँगा। फिर मेरी पत्नी का भाई मुझे बुलाने आया तो मैं भी पत्नी का पीछा करते करते लोपोंगटाँडी आ गया। मुझे फूसरी में भी जोगवा चुना गया था। फिर जब लोपोंगटाँडी आए तब भी जोगवा का पद मिला। पर अब बूढ़े हो गए हैं। और नहीं कर सकेंगे। किसी और को जिम्मा देना

चाहते हैं पर कोई तैयार ही नहीं हो रहा है।

जंगल नहीं बचा और जानवर भी जाने कहाँ चले गए

आज हम लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ तक घना जंगल था। बहुत जंगली जानवर थे। साराम सुकरी, सुअर, नीलहिरण, इत्यादि। पता नहीं सब कहाँ चले गए। करमा टुंगरी और कजरी बुरू में बहुत साराम होते थे। साराम एक प्रकार का हिरण होता है जो भैंसे के बराबर होता है और उसके शाखा की तरह सींग होते हैं। तब हम लोग काफी सेन्द्रा खेलते थे। तीर कमान से शिकार करते थे। पर अब तो सारा जंगल साफ हो गया है। तब सेन्द्रा में बड़ा भारी दरबार होता था। जिसका जो भी केस होता था, चाहे लड़का लड़की का, चाहे किसी चीज का, सबकी अपील होती थी।

उस समय जंगल में सब जड़ी बूटी भी होती थी। जैसे प्रदर में डोका और सालगा के

उजड़े जंगल...

पेड़ की छाल को उबाल कर पीना अच्छा होता है। एक होती है केदु अड़अः रेहेः की लता जिसकी जड़ को पीस कर खाना दस्तों में अच्छा होता है। लेकिन अगर डॉक्टरी दवा गोली के साथ यह सब खाओगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। सांप अगर काट ले तो भादू पेड़ की छाल को एक सांस में चबा कर काटे पर थूक कर लगाओ तो अच्छा हो जाता है। अगर भुरक जाए तो शहरपत्ते की जड़ को हल्दी के साथ पीसकर उस जगह में बांध देने से दर्द नहीं रहता। अगर एकशिरा है तो पेड़ में अंकुर हुए वावला को पीस कर तीन दिन तक लगाइए। ऐसी कई जड़ी बूटी हैं। मैंने यह सब अपने मंझले काका ससुर से सीखा। वह चेला दड़ान करने घर-घर जाते थे। उसको सब मकई देते थे। हमको भी साथ ले जाते थे। चेला दड़ान देवी का दोहा और एक प्रकार का नाच है।

चावले पंजा से हम दुश्मन भी पहचान सकते हैं

चावले पंजा से बीमारी का कारण पता चल जाता है। पहले बुरू से विनती करते हैं। एक पत्ते में चावल के दाने ले कर खेत में, खलिहान में चलते हैं। उसी से जोड़-बेजोड़ करते हैं। जोड़ी नहीं होने पर अपना घर, फिर भी नहीं मिला तो गाँव के घर, उसमें भी नहीं मिला तो ससुराल या ननिहाल ले जाते हैं। फिर भी नहीं जुड़ा तो 'फूल फोड़न' करना पड़ता है। कहीं न कहीं तो अवश्य ही जुड़ेगा। नहीं तो फूट हो जाएगा। दुश्मन तो बनते ही हैं। जगह ज़मीन को ले कर, किसी और बात की लड़ाई को ले कर। आपको भी फूट करेगा, दूसरों को भी फोड़ देगा। चावले पंजा से दुश्मन पहचान सकते हैं। चावल का जोड़ हो गया तो मिल गया, बेजोड़ हो गया तो नहीं मिला। मिल जाता है तो उसके नाम से ग्रह काट कर फेंक देते हैं। इसके लिए बोंगा है लेकिन सभी अच्छे नहीं हैं। अच्छे वाले बोंगा है खुदरा-खुदरी, कोकाय, झराटांडी, आदि। कोकाय घर का बोंगा है। चारों कोनों में बोंगा हैं। लेकिन आजकल बोंगा-बुरू की ठीक से सेवा नहीं हो पा रही है। किसी न किसी समय पर वे अवश्य धक्का मारेगें जैसे कि बैल बकरी में। साखा होने पर मुर्गा पूजा करो। साखा नहीं होने पर कोई सुनवाई नहीं है।

मैं बीमारी का कारण भी बताता हूँ और दवा भी देता हूँ। कुछ बीमारियों की दवाई मुझे स्वप्न में मिली। सपने में एक जटाधारी वृद्ध मिला जिसकी जटाएँ जमीन को छूती थीं। उसने मुझे मिरगी और अपसन के लिए जड़ी बताई और कहा कि जिस दिन यह जड़ी लाओ उस दिन हमारा नाम लेना ' जटा हाड़ाम'। उसी ने हमें सिखाया।

सीसीएल खेत उजाड़ रही है, धरती बरबाद कर रही है

मैं तो यही समझता हूँ कि पहला ज़माना ही ठीक था जब पद्मा राजा था। क्योंकि जो कोई गलत काम करता था उसको सज़ा देता था। मृत्यु दण्ड भी देता था। अब तो कोई कुछ नहीं करता। लेकिन हम समझते हैं कि हम लोगों के रीति रिवाज खत्म नहीं होंगे। सब खत्म कैसे हो सकता है, अखिर आदमी अपने पुरखों को जानता है। अगर ठीक से देवता-बोंगा की सेवा नहीं करेगा तो बोंगा पूरे समाज पर भी धक्का मार सकता है। फिर अपने रीतिरिवाजों का पालन तो करना चाहिए।

जैसे हमारे जन्म-विवाह-मृत्यु के कुछ रिवाज़ हैं जो पालन होते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो छठिहारी में उसका नाम उस परिवार के दादू के नाम से रखते हैं। माँड-भात बनाते हैं और पूरे गाँव में बाँटते हैं। माँड़-भात में नीम का पत्ता डालते हैं जिससे सबको पता लग जाए कि उसका नाम अब रख दिया गया है और कहीं भी अब उसकी गिनती की जा सकती है। हम लोगों में शादी-विवाह भी बहुत सादा होता है। हम तो सिनान भी नहीं करते जिसमें ठाकुर मुनि उँगली में सुई चुभोता है और एक बूँद खून चावल में डालता है। हम लोग की एक रस्म है खण्डा दअः। इसमें विवाह के समय पुरुष के हाथ में आम का पत्ता बांधते हैं और वधू के हाथ में महुए का पत्ता। उसी समय हल चलाते समय बैल के कंधे पर जो जुआ होता है वैसे दो जुए पंक्ति में रखते हैं और साथ में तीर रखते हैं। तीर में दूल्हा -दुल्हन पानी डालते हैं। दूल्हे के आम के पत्ते में भी चावल रहता है और दुल्हन के महुए के पत्ते में भी। उसमें पानी देते रहते हैं। यदि चावल में अंकुर आ जाता है तो समझते हैं कि बच्चा शीघ्र होगा। नहीं अंकुर आया तो बच्चा होने में देरी होगी।

मृत्यु में जब मृत व्यक्ति को घर से निकालते हैं तो गाँव के बाहर पानी से उसके हाथ पैर सिर को धोते हैं ताकि वह साफ सुथरा हो कर दुनिया से जा सके। मृत व्यक्ति को कब्र में डालते समय उसका थोड़ा कपड़ा फाड़ लेते हैं ताकि उसका कुछ अंश जिसको जड़ बाहा कहते हैं, वह आ सके। यह तब करते हैं अगर उसी दिन छाया भीतराना हो। अगर दूसरे दिन लाना है तो पोटली बना कर किसी पेड़ में लटका कर छोड़ देते हैं। जिस दिन लाते हैं उस दिन वहाँ से तीन मुट्ठी मिट्टी लाते हैं। यह जानने के लिए कि मृत व्यक्ति चला गया है, हम जड़ बाहा भीतराने के दिन मुर्गा भी काटते हैं। मृत व्यक्ति का हिस्सा भी होता है और एक पत्ते में बांध कर घर के जिस कमरे में वह मरा था, वहाँ की छत में टाँग देते हैं। सुबह यदि खाना छितरा हुआ, फैला हुआ है तो इसका मतलब है कि मृत व्यक्ति घर में आ गया है। ऐसा हम लोगों का मानना है।

रीति रिवाज तो अभी हैं लेकिन जंगल पहाड़ सब खत्म हो गए,खेती बारी नहीं रही, जड़ी-बूटी, जंगली जानवर वगैरह कुछ भी तो नहीं रहा। अब अगर यहाँ खदान आएगा तो हम एक ही बात कहेंगे कि हमको पैसा, नौकरी खाली मत दो। ज़मीन भी दो। ज़मीन तो हमेशा के लिए होती है, हमारे नाती पोते भी उससे खा सकते हैं। बिना ज़मीन के हमारा अस्तित्व नहीं है।

साक्षात्कार - 11

नाम : झरनी देवी भोग्ता
आयु : 75 वर्ष
स्थान : बेंती, टोला करमकटी
भेंटकर्ता : धनेश्वर गंझू

झरनी देवी बेंती गाँव से हैं जहाँ से सीसीएल ने जमीन तो ले ली है किंतु जहाँ के लोगों को पुनर्वास नहीं दिया है। झरनी देवी के 3 लड़के और 2 लड़कियाँ हैं और सबके विवाह हो चुके है। सीसीएल ने झरनी देवी की 4 एकड़ जमीन अधिग्रहण की और बदले में इनके बड़े लड़के को नौकरी दी। लेकिन इनके बड़े लड़के का देहान्त हो गया और उसकी पत्नी को अभी तक सीसीएल ने उसकी जगह नौकरी नहीं दी है। झरनी के साथ उनकी विधवा बहू और उसके 3 बच्चों के अलावा उनके बाकी 2 बेटे और उनकी पत्नियाँ भी रहती हैं। यद्यपि उनके लड़के नौकरी करते हैं फिर भी उनका कहना है कि उनके परिवार की जीविका बची-खुची जमीन पर खेती-बाड़ी और थोड़े बहुत पशु पालन से ही चलती है।

हम लोग यहाँ पहले खेती-बाड़ी कर के रहते थे। जिनके पास ज़मीन थी वे लोग साल भर का अनाज घर में उपजाते थे। लेकिन खदान खुलने के बाद से सारी ज़मीन खदानों में चली गई है। फिर आजकल के आदमी आलसी भी अधिक हो गए हैं। खेतीबाड़ी पर ध्यान नहीं देते हैं। पहले तो यहाँ जंगल झाड़ी बहुत थी, चरगाह टाँड भी अधिक थी, इसलिए हम लोग पशु-पालन भी खूब करते थे। घर के बैल-काड़ा से हम हल चलाते थे, गाय भैंस का खूब दूध पीते थे और उन्हीं के गोबर से फसल अच्छे से उपजाते थे। अब तो सारी ज़मीन खदानों में चली गई। हमारी खुद की 4 एकड़ ज़मीन गई है। जो थोड़ी बहुत बची है उसी

में हल्की फुल्की खेती कर के अपनी गुजर बसर करते हैं।

सीसीएल 3 एकड़ में 1 नौकरी देती है। हमसे 4 एकड़ ज़मीन ली है। लेकिन वह 1 एकड़ अतिरिक्त जो लिया है हमसे, उसका सीसीएल कुछ भी नहीं कर रही है। हमारे बड़े लड़के को नौकरी मिली थी लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। सीसीएल ने आश्वासन दिया कि हमारी पुतोहू को नौकरी दी जाएगी लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। हम लोग को ज़मीन का मुआवज़ा भी बहुत कम मिला था। 10000 रु प्रति एकड़ दिया था। आज वही ज़मीन 1 लाख रुपए की होती। लेकिन हम लोगों में शिक्षा और ज्ञान की कमी होने के कारण हमने मान लिया। पहले हम लोग खेती-बाड़ी कर के खाते थे वही हमारे लिए ठीक था। अब खदान ने कोड़ कर सब जगह ज़मीन को बरबाद कर दिया है। हमें जीने खाने में बहुत मुश्किल परेशानी है। ज़मीन तो चली ही गई और लड़के की मृत्यु हो जाने कारण नौकरी भी गई। तो हमें तो कुछ नहीं मिला।

पहले यह गाँव विशाल जंगल से पूरा घिरा हुआ था

हम लोग जंगल से लकड़ी, काठी, झूरी लाते थे। लेकिन उस समय फॉरेस्ट विभाग के फॉरेस्ट गार्ड पकड़ते थे। अब तो सिपाही भी नहीं दिखाई देते और पहले जैसे जंगल भी नहीं हैं। पहले वहाँ खाने पीने की बहुत सामग्री मिलती थी। कंद, मूल, काठी, झूरी, पत्ता, दातुन, कंद, पियार, खजूर, सबाई घास, डूमर, गेठी, ठेना, डूरा, कंदा, बाँस, करील, जंगली जड़ी-बूटी, इत्यादि बहुत चीज जंगल में मिलती थी। खुखड़ी फुटका भी खूब मिलता था। लेकिन अब खदान आने से सब चीज बर्बाद हो गई। पहले जंगल से हमको बहुत फायदा था। पहले यह जंगली खाद्य सामग्री बेच कर हम लोग अपनी जीविका का एक मुख्य साधन कर लेते थे। जंगल के समाप्त होने से हमारी जीविका पर बहुत प्रभाव पड़ा है।

पहले जंगल में जंगली जानवर भी बहुत होते थे। हिरण, झाखा, कोटरा, चितरा, मोर, खरगोश, मुर्गा-मुर्गी, कई प्रकार के जानवर थे। तब सेन्द्रा शिकार भी होता था। गाँव के पुरुष लोग जाते थे और खरगोश को जाली में फंसा कर शिकार करते थे। सेन्द्रा भी एक प्रकार

से हमारी जीविका से जुड़ा हुआ था। पहले सेन्द्रा शिकार की बैठक होती थी। उसमें चुनाव कर लेते थे कि इस दिन शिकार खेलने जाना है, अपने अपने टोला-गाँव में खबर कर दीजिए। फिर सब लोग अपने-अपने ढोल-नगाड़े, तीर-धनुष, जाली ले कर एक जगह इकट्ठा हो जाते थे। फिर फैसला करते थे कि किस जंगल में शिकार खेलना है और कितने दिन, 2 दिन या 3 दिन, खेलना है। सब अपने-अपने खाने-पीने का प्रबंध कर के जाते थे। आखिरी दिन जो भी मारा होता वो सब लोग बाँट लेते थे।

पानी की स्थिति और भी खराब हो गई

हमारे गाँव करमकटी बस्ती में कुआँ खोदने से पानी नहीं निकलता है। पहले जगदेव प्रसाद के कुएँ से पानी पीते थे। अब पच्चू पासवान के घर के आगे एक पानी की टंकी है, उसी से करमकटी और बरामसी के लोग पानी लेते हैं। पहले गाँव के आसपास नदी नाले बहुत होते थे लेकिन खदान खुलने से सब बरबाद हो गया। पहले गाय बैल सब उसी से पानी पीते थे, अब बहुत दिक्कत होती है। चापाकल अगर कभी खराब हो जाता है तो 2 किमी पानी लाने जाना पड़ता है जोभिया झरना से। अगर रातबिरात कोई मेहमान आ जाए तो बहुत परेशानी हो जाती है। शादी विवाह में तो पानी लाने वाला खास आदमी रखना होता है ताकि कमी न हो।

पानी की दिक्कत तो यहाँ पीढ़ियों से है। लेकिन तब वर्षा पानी बहुत अच्छे से होता था। अंतिम वर्षा दीपावली तक आती थी और धान, लोटनी, सरगुजा की खेती बहुत अच्छे से होती थी। यहाँ तक माघ माघेरी पानी वर्षा होती थी। अब समय पर वर्षा न होने से खेतीबाड़ी में बहुत नुकसान होता है। पहले अगर वर्षा कभी रुक भी जाती तो मंडप में या देवी स्थान में जागरण भजन पूजन करने से वर्षा हो जाती थी। तब मंडेर में 6-7 दिन झूमर कीर्तन खेलते थे और इससे निश्चित वर्षा होती थी। लेकिन अब के लोग देवी देवताओं को उतना शक्तिशाली नहीं मानते हैं। आज के लोगों में सत्य शक्ति नहीं है क्योकि रोज़ झूठ बोलते और ठगते हैं। झूमर-जादौरा, रिंगा-माठा, भगत पहान त्योहार में फूलवारी लाने नहीं

जाते हैं जिसके कारण भगत की शक्ति दिनों दिन घटती जा रही है। पहले के परंपरागत रीतिरिवाज के अनुसार, खास कर के करमा पूजा में वर्षा पानी निश्चित होता था।

खदान खुलने के बाद पर्व त्योहार मनाने में अंतर हो गया है

हम आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार सरहुल सरना सखुआ पूजा को कहते हैं। इसमें मुख्य पहान पुजारी होता है। गाँव के खुटकटी रैयत को पहान पुजारी का कार्य सौंपते हैं और वह सत्य और विश्वास के साथ भक्ति करता है। सरहुल पर्व हम लोग चैत बैसाख में मनाते हैं क्योकि इस समय पर सरना सखुआ फूलता है। सरहुल से 2 दिन पहले 2 नए घड़ों में पानी ले कर सरना देवस्थान में रखते हैं। फिर वहाँ बकरे, मुर्गी, सुअर, चेंगने की बलि चढ़ाई जाती है। फिर घी की बनी रोटी चढ़ाई जाती है। फिर गाँव के पुरुष-महिलाएँ, बच्चे-बूढ़े सब वहाँ जाते हैं और ढोल-नगाड़ा मांदर से नाचते गाते गाँव में आते हैं और पूरे गाँव में नाचते गाते और घर घर में फूल खोंसते हैं। पहान पुजारी साथ साथ रहता है और हर घर उसको अपनी खुशी से भेंट देता है और उसका तेल सिंगार भी करता है।

ऐसे ही हम लोग करमा भी खूब धूम-धाम से मनाते हैं। करमा पूजा के एक सप्ताह पहले से गाँव की लड़की लोग जावा रखती हैं। शाम सुबह जावा जागती हैं। फिर संजोत के दिन उपवास रखती हैं। उसी रात करमा देव की पूजा होती है। फिर सब लोग अखाड़े में मिल जुल कर नाच करते हैं और बारहवें दिन करमा बाबा को नदी में बहा दिया जाता है। ऐसे ही हम लोग जीतिया पर्व भी मनाते हैं। पहले से बाप-पुरखे मनाते आ रहे हैं। और हम आज भी मनाते हैं। जीतिया में बाप पुरखों का आंगन में पिंड पराते है। फिर दूध गुड़ का महाभोग होता है। फिर गाँव के मंडप में दूध गुड़ और पान-फूल चढ़ाए जाते हैं और मंडप में गाँव के सब लोग मिल जुल कर नाचते गाते हैं।

पूर्वजों के उपदेश और रीति रिवाज के अनुसार सरहुल, सरना करमा में भक्त पहान को बहुत ही महत्व दिया जाता है और उन्हें भी भक्ति और श्रद्धा पूर्वक रहना होता है। इसलिए हम लोग बहुत सोच समझ कर गाँव समाज के मुख्य व्यक्ति को भक्त पहान के रूप

में मनोनीत करते हैं। हम लोग एक सोहराय पर्व और मनाते हैं जो कि दीवाली के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। एक सप्ताह पहले से जानवरों को, गाय भैंसों को तेल लगाते है और घर द्वार की सफाई करते हैं। घर की सारी चीजों को साफ सुथरा करके सिंदूर अर्पण होता है और उसके बाद घी का दिया जलाया जाता है। सोहराय में विशेष धन-लक्ष्मी से मनोकामना की जाती है। पांच प्रकार का अन्न मिला कर पकाते हैं और सुबह गाय भैंस, बकरी को खिलाते हैं। इस पर्व में जगह-जगह मेले का भी आयोजन किया जाता है। गाँव के लोग भगत पहान को चावल महुआ और पहान पुजारी को तेल सिंदूर देते हैं। सब लोगों के नाश्ते खाने का भी प्रबंध किया जाता है।

खदान खुलने से पहले हमारे पर्व त्योहार मनाने के तरीके फर्क थे। पहले तो 1 महीना पहले से ही कितनी चहल पहल शुरू हो जाती थी। सब त्योहारों पर झूमर जादौरा खेला जाता था जो हमारी आदिवासी संस्कृति की पहचान है। लेकिन अब सब कुछ बहुत कम हो गया है। कह लीजिए कि हम खदान आने के बावजूद किसी तरीके से अपने पर्व त्योहार अभी तक मना रहे हैं।

खदान खुलने से पहले हमारा गाँव भारत माता की एक नई दुल्हन जैसा था

पहले हमारे गाँव में आम, जामुन, महुआ के बहुत फलदार पेड़ थे जो सीसीएल ने बरबाद कर दिए हैं। सीसीएल ने सब पेड़ उजाड़ कर फेंक दिए और हमें साग सब्जी के भाव से मुआवज़ा दिया। तब सीसीएल को रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। जो चालाक लोग थे उन्होंने अपनी अपनी लकड़ी काट कर बेच दी और बाकी चीर कर खिड़की दरवाजे बनवा लिए। कम्पनी ने न किसी को नोटिस दिया न खबर दी। चाहे जिसकी ज़मीन में महुआ के पेड़ को बगैर सूचना डोज़रिंग करके गिरा देते थे। सारे गाँव के महुआ के पेड़ बर्बाद कर दिए। हम लोग अनपढ़ थे और सीसीएल के नियमों की हमें कोई जानकारी नहीं थी। हमें पता ही नहीं था कि हमारी ज़मीन में होने वाले आम, कटहल, महुआ के पेड़ों का भी हमको मुआवज़ा मिलना चाहिए। सब गाँव के लोग ठगे गए। बाद में जब पता चला तो माँग करने

पर किसी को थोड़ा बहुत मिला और किसी को वो भी नहीं।

महुआ पेड़ कटने का हमको बहुत अफसोस लगता है। एक समय था जब महुआ भूखे गरीब का पेट भरता था और महुआ से काफी आमदनी भी होती थी। आज महुआ किशमिश के दाम में बिकता है। पहले महुआ को मिट्टी के बर्तन में पका कर या फिर तेल में पका कर, सरगुजा को पका कर पीसकर महुआ के साथ खाते थे। महुआ को आटे के साथ मिला कर महुआ पुड़िया बना कर खाते थे। नहीं तो महुआ को सीधे बाजार में बेच कर आमदनी प्राप्त करते थे। लेकिन सीसीएल ने कुछ नहीं छोड़ा।

खदान खुलने से पहले हमारा गाँव इतना सुन्दर था जैसे भारत माता की एक नई दुल्हन हो। खदान खुलने से पहले गाँव बस्ती में चैन आनन्द महसूस होता था। चारों तरफ़ जंगल पहाड़ और कल कल झरने थे। तरह -तरह की खेती से यह पवित्र धरती फूल की तरह खिली रहती थी। और आज खदान खुलने से इसी धरती को देखने का भी दिल नहीं चाहता। हमारा सब चैन और आनन्द सीसीएल ने खदान द्वारा नष्ट कर दिया है।

भारत माता की एक नई दुल्हन जैसा गाँव ।

साक्षात्कार - 12

नाम : जगदेव टाना भगत
आयु : 55 वर्ष
स्थान : कल्याणपुर, नवाटोली
भेंटकर्ता : एलेक्ज़ैण्डर टिग्गा

जगदेव टाना भगत मालमोहुरा से विस्थापित हो कर कल्याणपुर आए हैं। यह विवाहित हैं और इनके 9 बच्चे हैं – 7 लड़कियाँ और 2 लड़के। मालमोहुरा में इनके पास 32 एकड़ ज़मीन थी और खेती बारी कर के सुख से रहते थे। इनका कहना है कि सीसीएल ने इनसे ज़मीन तो ले ली किन्तु बदले में इन्हें न तो कोई मुआवज़ा मिला और न ही कोई नौकरी मिली। इन्हें पुनर्वास कॉलोनी में केवल रहने की जगह दी गई। इन्होंने काफी दौड़ धूप भी की लेकिन हाथ कुछ न लगा । इनका कहना है कि सीसीएल ने इनका सब कुछ विनाश कर दिया है।

हमारे बाप दादा मालमोहुरा में ही रहते थे। शायद उनके पुरखे कहीं और से आए हों वह हम नहीं जानते। जब आए तो जंगल के कंद, गेठी ठेना वगैरह खा कर रहते थे। फिर धीरे-धीरे पेड़, जड़, पत्थर हटाए। खेती बाड़ी बनाई। जंगल-झाड़ गैरमजुरवा जमीन को ले कर नापी करवाई । तब वर्षा होने पर खेती करते थे। कुआँ, इत्यादि तो था नहीं। जब वर्षा होती तो खेती करते नहीं तो जंगल के कंद, गेठी, ठेना से गुजारा करते। फिर धीरे-धीरे कुआँ तालाब कोड़ लिया तो खेती बाड़ी बढ़ गई। उसके बाद खेती बाड़ी से फुर्सत मिलती तो ठेकेदारी मज़दूरी से कमाते। मतलब वहाँ पर सब चीज की आज़ादी थी यहाँ कुछ भी आज़ादी नहीं है।

बाहर के लोग कहा करते थे कि यही असली किसान और असली आदमी लोग हैं

मालमोहुरा में सिर्फ 2 ही जाति थीं। 20-22 घर तो उराँव के थे और बाकी गंझू लोग के। सब लोग खेती बारी करते थे और बेनिहार-बाट भी करते थे। जिनकी अपनी ज़मीन नहीं थी वह दूसरों की ज़मीन पर मजदूरी करते थे। दोनों जाति आपस में बहुत अच्छे से रहती थीं। रहते तो अपनी-अपनी तरफ ही थे लेकिन प्रेम-भाईचारा सब था। गंझू भाई लोग का का कोई काम होता था तो उराँव लोग जाते थे और उराँव लोग के काम में गंझू लोग आते थे। शादी विवाह के समय एक दूसरे के यहाँ न्योता निमंत्रण होता था। ऐसे ही सब एक दूसरे के दुख में शामिल भी होते थे। कोई अगर लड़ाई-झगड़ा भी हो जाए जो आपस में ही गाँववाले आम-इमली कर लेते थे। फलाना की गलती है, फलाना इतना जुर्माना दे दे। इस तरह से हो जाता था। थाना पुलिस कचहरी तक बात नहीं पहुँचने देते थे।

गाँव में किया फैसला आँखो देखा, कानों सुना होता है।

किसी प्रकार के विवाद को गाँव से बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि गाँव का फैसला आँखों देखा कानों सुना होता है। अच्छी सोच विचार के बाद होता है, इसमें पक्षपात नहीं होता क्योंकि हम भली-भांति दोनो पक्षों की बात सुन कर फैसला करते हैं। अगर कोर्ट कचहरी से विवाद का फैसला करवाओ तो दोनो पक्षों को रुपए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। फिर अगर कोई एक पक्ष का आदमी पैसे से ज्यादा मज़बूत है तो कोर्ट का न्याय या फैसला उसी के पक्ष में होता है। थाना फौजदारी करना गलत है। क्योंकि थानेदार लोग यह नहीं देखते कि लड़ाई झगड़ा किसलिए हुआ है, यह सब नहीं देखते। उन लोग तो निर्दोष से भी पैसा लेते हैं और दोषी से भी । दोनो पार्टी को बरबाद करते हैं। लेकिन गाँव में दोनों पार्टी के मुताबिक फैसला होता है जिसके चलते दोनों पक्ष के व्यक्ति संतोषजनक फैसला स्वीकार करते हैं।

भजु गंझू - 80 वर्ष - हड़गड़ी टोला

वहाँ पानी वगैरह की कोई कमी नहीं थी । सब तरफ नदी नाले थे जहाँ पानी रहता था। फसल के लिए कुआँ तालाब तो था ही। ककड़ी, भिंडी, तरबूज, और एक जिसको हम सेमा कंन्द कहते है, खूब उपजाते थे। ट्रक के ट्रक बिक्री करे हैं हम लोगों ने। तब वर्षा भी ठीक होती थी। ताज़ा हवा थी, ताज़ा पानी था, खूब जंगल झाड़ था। बढ़िया जीवन बसर करते थे। बाहर के लोग कहा करते थे कि यही असली किसान और असली आदमी लोग हैं। यहाँ तो हमको कोई जानता भी नहीं। वहाँ हम पूरी आज़ादी से रहते थे। कोई हमको कुछ बोलने वाला नहीं था। यहाँ पर तो हमारे दिल पर जो बीत रही है वह हम ही जान रहे हैं।

पर्व त्योहार और शादी विवाह

गाँव में हम करमा त्योहार, सरहुल, जिसको सरना पूजा बोलते हैं, वो मनाते थे। हम टाना भगत लोग बैसाखी और मूठ भी मना लेते हैं। पर प्रमुख त्योहार तो करमा और सरहुल ही हैं।

करमा इसलिए मनाते हैं क्योंकि पुराने ज़माने में 7 बहने थीं। उनके 7 भाई थे। वे भाई कमाने के लिए परदेस चले गए। बहुत दिन बाद कमाई कर के जब वे परदेस से लौटे तो अपने गाँव के पास एक मोहल्ले में रुके। सबसे बड़े भाई ने छोटे भाई को आदेश दिया कि जाओ एक बार जा कर घर की खबर ले आओ। जब वह घर पहुँचा तो उसने देखा कि सातों बहनों ने आँगन में करमा की डाली को गाड़ रखा है और उसके आसपास खूब नाच गा रही हैं। यह देख वह बहुत खुश हुआ और वहीं रुक गया । जब बहुत देर तक नहीं वापस आया तो बड़े भाई ने दूसरे भाई को भेजा। दूसरा भाई भी वहीं रुक कर नाच गाने में मगन हो गया और वापस नहीं लौटा। ऐसे एक एक करके बड़े भाई ने छः भाइयों को भेज दिया। जिसमें से एक भी वापिस नहीं आया। अब बड़ा भाई खुद वहाँ गया तो देखता है की सातों बहनें और छहों भाई करमा डाली के आस-पास खूब नाच गा रहे हैं। यह देख कर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक लाठी ली और करमा डाली को खूब मारा जिससे

वह हरी-भरी डाली बिल्कुल झड़ गई । उस डाली को उठा कर नदी में बहा दिया। अब ऐसा करने के बाद उनके बुरे दिन आ गए। सब छिन्न-भिन्न हो गया। सब संपत्ति नष्ट हो गई। बहुत गरीब हो गए तो गाँव के पहान के पास गए। उसने बताया तुम करमा डाली के साथ ऐसा किए इसलिए ऐसा सब बुरा हो रहा है। इसलिए उसी करमा डाली को ला कर उसकी सेवा करो। बस वे रोते कलपते उसी करमा की डाली को खोजने लगते हैं। तब वह करमा बोलता है कि छिः-छिः पापी, तोर करम कहाँ, तोर करम सात समुद्र लंका पार, तोर करम यहाँ कहाँ ? तो ऐसे करते करते वो उसके पीछे पीछे लंका तक चले जाते हैं और उसी करमा की डाली को ला कर उसकी सेवा करते हैं। तब जा कर उनकी सब व्यवस्था ठीक होती है और वह फिर संपन्न हो जाते हैं। तो इसलिए बहनें भाइयों के लिए करमा पूजा करती हैं।

सरहुल को हम गाँव की शादी मानते हैं। इसको उराँव में खद्दी भी बोलते हैं। सरना पूजा भी कहलाता है। तो इसमें हम पहले भखरा जाते हैं जो सरना में एक पेड़ होता है। वहाँ पास में पानी रखते हैं। फिर पूजा करते हैं। फिर सराय फूल को पानी में डुबाते हैं। फिर चाला बुढ़िया वहाँ आती है। उसको हम खीर भात चढ़ाते हैं। फिर पार प्रसादी चना सब को मिला कर अकरी बनाते हैं। चाला बुढ़िया की पूजा करने के बाद पहान और महतो को लाने जाते हैं। नगाड़ा ढोल बजा कर हर एक घर में घूमते हैं। अरवा चावल माँगते हैं। यही गाँव की शादी करना होता है। पहान और महतो को अपने कंधे पर ढो कर घर घर जाते हैं। खूब नाच गाना खाना पीना होता है। इसी दिन के बाद फिर लोग शादी विवाह करने के लिए सूप बिठा सकते हैं। इससे पहले नहीं।

हम टाना भगत लोग में शादी बहुत सादी होती है। खानापीना शाकाहारी होता है। और दारू तो बिल्कुल नहीं। कोई पण्डित ब्राह्मण नहीं होता, हम अपने रीति रिवाज खुद करते है। लेना देना भी ज्यादा नहीं होता। सुईया सगुन करने जाते हैं तो टाट खुलाई में 5.50 रु देते हैं। बस बाकी सब अपनी खुशी से जो देना चाहो। शादी में सिंदरी का रस्म होता है। जो किसी को देखने नहीं दिया जाता। चंदन की सिंदरी बनाते हैं। और पण्डित माथे पर लगा कर तुरंत पोंछ देता है। ताकि ग्रहण न लगे, नहीं तो विधवा भी हो सकती है। फिर पोंछ देने

से कोई पहचान नहीं सकता कि यह वर है और यह वधू और ग्रह नहीं लगेगा। कुँआरे लड़के लड़की लोग को भी नहीं देखने देते कि वह छोटी उम्र के हैं, उनकी बाल बुद्धि खराब होती है। तो सिंदरी की रस्म कोई नहीं देख पाता।

सीसीएल ने कहा हम आपकी ज़मीन को कुछ नहीं करेंगे

शुरू-शुरू में सीसीएल यहाँ बोरिंग करने आई । हमने पूछा क्या करते हो तो कह दिया हम ज़मीन के नीचे कोयला ढूँढ रहे हैं। चिंता मत कीजिए, आपकी ज़मीन को कुछ नहीं करेगें। फिर एक दिन हमने पेपर में देखा कि सीसीएल यह जमीन अधिग्रहण कर रही है। वे कहते हैं कि उन्होंने नोटिस दिया था, लेकिन हमें तो कोई नोटिस नहीं मिला। बस पेपर में देखा कि यहाँ खदान खुलने वाली है। फिर वे लोग आ गए। बोले कि यह जगह हमने बिहार सरकार से खरीद ली है। अब आपको दूसरी जगह जाना होगा। हमने कहा कि खरीदी होगी आपने बिहार सरकार से ज़मीन हमसे तो नहीं खरीदी न । तो बोले कि आपसे भी खरीदेंगें। आपको 700 रु प्रति एकड़ के हिसाब से देंगे। हमने कहा हमको जमीन के बदले में ज़मीन दीजिए। बोले कि वह तो नहीं दे सकेंगे। हमने कहा ज़मीन कोई रबड़ है जो खिंच जाएगी। जो पैसा आप हमको दे रहे हैं उसी पैसे में हमें ज़मीन का ही बन्दोबस्त कर दीजिए। ऐसे तो हम नहीं जाएँगे। बहुत लड़ाई की हमने। तो बोले कि अच्छा नौकरी भी देंगे। ज़मीन हम बिहार सरकार से ले चुके हैं। तो आप अपना पैसा लीजिए और जाइए, नौकरी हम आपको दे देंगे तो नौकरी दी हर 3 एकड़ पर अनपढ़ लोग के लिए और पढ़े लिखों को 1 या 2 एकड़ पर नौकरी दी । जब नौकरी की बात हुई तो गाँव में लोग ज़मीन देने को भी सहमत हो गए। लेकिन हमारे गाँव में कम लोग थे इसलिए 10-12 लोगों को ही नौकरी मिली।

लेकिन मेरे साथ बुरा हुआ। हमारी खाली 4 एकड़ ज़मीन जो दादा के नाम थी उसका मुआवज़ा और उसके लिए 2 नौकरी मिली। मेरी 32 एकड़ अभी बाकी रह गई है जिसका केस अभी पेंडिंग है। उस ज़मीन में सभी 1 नम्बर के खेत थे और थोड़ा टाँड था। सीसीएल

ने कहा कि ज़मीन के कागज पत्र ठीक नहीं हैं। पहले जो जमींदार था वह खतियान में आधा चढ़ा हुआ है, आधा चढ़ा हुआ नहीं है। इसलिए पहले बिहार सरकार से ठीक करवा के लाओ। हमने बहुत भागा दौड़ी की। जमींदार के बाल बच्चों से भी बात की। लेकिन जमींदारी तो अब सब खत्म हो गई। अब सब कहाँ मिलेगा ? कोर्ट भी गए, बहुत पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन कुछ नहीं बना। डी सी ने कैम्प लगा कर 32 एकड़ ज़मीन सही है या गलत है, इसके लिए सर्वे भी किया। लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। वैसी की वैसी सीसीएल ने मेरी 32 एकड़ जमीन दबा रखी है।

जब पुराना सोचते हैं तो सीसीएल के लिए मुँह से हाय ही निकलती है

सीसीएल ने हमे मालमोहुरा से उठा कर यहाँ कल्याणपुर नवाटोली में डाल दिया है। कुआँ दिया है, बिजली दी है और 25 डी मी ज़मीन दी है वह भी 5 जनों के नाम। अब कैसे इसमें घर बना कर रह सकेंगे ? क्या खेती करेंगे और क्या काम करेंगे? बस इतना है कि कम से कम हमको सुनसान में तो नहीं डाल दिया। आसपास अपने लोग तो हैं। हम कम से कम गाँव में तो रह रहे हैं।

यहाँ किसी चीज की आज़ादी नहीं है। यह जो घर बनाने के लिए ज़मीन दी यह कितने दिन चलेगी ? हमारी पीढ़ी तक चलेगी। और आगे बढ़ने वालों के लिए तो खत्म है न । ज़मीन तो खोजनी ही होगी। जैसे भी हो ढूँढनी ही होगी। आजकल तो लूट करो या मार करो तभी मिलती है ज़मीन। या नहीं तो पैसे से लड़ाई करो। अब तो जंगल में भी नहीं घुसने देते। उसे भी सीसीएल ने ले लिया है। यहाँ तो ऐसा नहीं लगता कि गुजर होगी। लेकिन क्या करें? कहाँ जाएँ ? कैसे भी यहाँ जीना ही पड़ेगा। जैसे भी हो, जब तक यह जीवन रहेगा, बिताना ही पड़ेगा।

साक्षात्कार - 13

नाम : मालती देवी
आयु : 45 वर्ष
स्थान : भुरकुन्डवा
भेंटकर्ता : दावलेन मिंज़

मालती देवी मल्हार जाति की प्रौढ़ा स्त्री हैं जो कि अपने पति, बेटे तथा बहू के साथ भुरकुन्डवा गाँव में रहती हैं। मल्हार जाति के लोग खानाबदोश होते हैं। पैला, कलछुल, आदि बनाना तथा गोदना गोदना ही इनके पारंपरिक व्यवसाय होते हैं। मालती देवी अपनी जाति के लोगों से अलग हो कर यहाँ करमाली लोगों के बीच रहती हैं। इनका कहना है कि इनकी जाति के लोगों में आपस में बहुत लड़ाई होती है और इन्हें लड़ाई पसंद नहीं है। इन्होंने यहाँ घास फूस की झोंपड़ी की जगह पर एक सुन्दर घर बना लिया है और खानाबदोशी का जीवन छोड़ कर यह और इनका परिवार यहाँ के स्थायी निवासी बन गए हैं। यहाँ से विस्थापित होने के बाद भी यह करमाली लोगों के साथ ही रहना चाहती हैं। मालती देवी को पारम्परिक जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान है।

हम लोग 15 भाई बहन थे। हम लोग की न जगह - ज़मीन थी, न खेती बाड़ी और न कोई घर द्वार। माँ बाप दोनों जाते, कमा कर लाते और हम बच्चों को खिलाते। हमें याद नहीं वे क्या काम करते थे। हमारी शादी राँची में हुई। तब हमें न कोई बुद्धि थी न कोई शुद्धि। जहाँ - जहाँ कोलियरी होती थी वहीं हम जीने खाने के लिये जाते थे। घर-द्वार कुछ था नहीं। बहुत घूमे हैं हम लोग। वर्षा पानी आया तो किसी के ओसारे में, किसी ढाबे में रुक कर बच गए। जो कमा कर लाए वो वहीं किसी ओहारी पिछवाड़ी में बना कर खा लिए। आज मेरा बेटा 17-18 साल का है। जब अढ़ाई साल का था, उसी समय यहाँ आ कर डेरा

किया था। बस उसी समय से यहीं बस गए, कहीं नहीं गए। यहाँ के सब लोग हमें जानते हैं। अब यह हमारे गाँव जैसा ही हो गया है और यहाँ के लोग भी हमें कहीं जाने नहीं देना चाहते।

हमारे पुरखे उराँव जाति के थे

हमारे पुरखे खेती गृहस्थी करते थे। खेत में जा कर हल जोतते थे, मेहनत करते थे। उनमें से एक आलसी था। हल छोड़कर मेड़ पर आ कर बैठ गया। वहाँ बैठ कर मिट्टी के घुंघरू का सांचा बनाया। बना कर आग में डाल दिया। बढ़िया बन गया, खनखन बजने लगा। फिर घण्टी बनाई, घण्टी भी बजने लगी। वह खुश हो गया। कह दिया कि अब से यही काम करूँगा। पैला, कलछुल बनाऊँगा। दीया, दमहरी, सोरही बनाऊँगा। बस हल चलाना छोड़ दिया। वही छोड़ा हुआ घर-घर घुमवा रहा है। अगर हमारा वह पुरखा आलसी न होता तो क्या आज बेटी लोग को ऐसे दरवाजे दरवाजे घूमना पड़ता? उसको तो जात से अलग कर दिया। भगवान ने भी सोचा कि ये लोग एक जगह रहेंगे तो बहुत लड़ाई झगड़ा होगा इसलिए तब से घूम-घूम कर पैला, कलछुल, सोरही बनाते हैं।

मल्हार पुरुष लोग पैला, कलछुल ही बनाते हैं। मिट्टी से पैला का साँचा बनाते हैं। फिर सखुआ की धुवन (लाख) को गला देते हैं जो खिंचती है। साँचे में धुवन को घुमा देते हैं। हर एक किस्म का चिन्ह उसी में बना देते हैं। बिच्छू, फूल या कोई नाम सब उसी में उतार देते है। वहीं सब पूरा का पूरा पैला में उतर आता है।

हम लोग की महिला लोग गोदना करती हैं। अब हमारी किस्मत में ही जब ये लिखा है तो हम और क्या करेंगे? सास अपनी जवान बहू को घर लाती है। वह बहु को गोदती है और धोने के लिए कहती है। जब बहु धोती है तो याद रखती है कि कैसे कैसे चिन्ह हैं। हम लोग के यहाँ नैहर में लड़की का कोई गोदना नहीं होता है। जिस लड़की का कुँवारेपन में गोदना हो उसे बेची हुई मानते हैं। चाहे एक बुंदकी हो चाहे दो बुंदकी हो, गोदना नैहर में नहीं, ससुराल में ही किया जाता है। वहीं पर लड़कियाँ सीखती हैं अपनी सास से।

पहले के आदमी जड़ीबूटी से ही ठीक होते थे

जड़ी बूटी से सब बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। विष के लिए एक कंद है सतावर। पेट के दर्द के लिए जड़ी है संजीवनी बूटी। पहले के लोग जड़ी बूटी खाकर ही ठीक हो जाते थे। लेकिन अब के लोग बिना हॉस्पिटल की दवा के ठीक नहीं होते क्योंकि ये लोग सल्फ़ेट खा कर बड़े हुए हैं। पहले के लोग महुआ खाते थे, बाजरा खाते थे, सब कुछ पच जाता था, लेकिन अब किसी को कुछ नहीं पचता।

इसलिए जब पेट दर्द होता है तो संजीवनी बूटी देते हैं। इसी को बजरंग बली खोजने गये थे और जब नहीं मिला तो पूरा पहाड़ उठा लाए थे। संजीवनी बूटी की छाल को चबा कर रस निगलने से पेट का दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे ही सतावर और सिमर कान्दा गर्मी का है। जिसको धात प्रदर होता है उसको सतावर, सिमर कान्दा और मिसरी तीनों पीस कर 2 दिन पिलाने से सब धात प्रदर खत्म हो जाता है।

विष की जड़ी है सीता चांवर। इसको मुर्गी के अण्डे के साथ बिना नमक की रोटी जैसे पकाने पर और जिसके पेट में विष है उसको खिलाने पर पेट का सब विष गल कर मल के साथ बाहर आ जाता है।

हम रीठा मदौली, गोदना से भी ठीक करते हैं।

रीठा मदौली बच्चों का होता है। जो कमर में पहनते हैं। कमर में घुँघरू हो गया, उसमें ढाई रुपया, तीन रुपया, चार-पाँच रुपया जैसे लेन है। उसमें गोदना देते हैं एक एक बूँद। 3 बुंदा में एक पैला चावल लेते हैं। अब जिंदा माँस मे गड़ाएँगे, चमड़े को काला कर के देंगे तो क्या एक पैला चावल भी नहीं लेंगे ?

लेकिन दवा हम बेचते नहीं हैं। जो माँगे उसको देते हैं। जो ठीक हो जाता है वह पूरा पैसा खुद से ही देता है। गोदना के लिए हम पैसा लेते हैं लेकिन झगड़ा झंझट किसी से नहीं करते। वैसे मदौली खाली बच्चे ही नहीं पहनते। बड़े लोग भी पहनते हैं। बच्चे पहनते हैं तो स्वस्थ निरोग रहते हैं। बड़े पहनते हैं तो भूत प्रेत नहीं लगता है। साधारण मदौली तो

बाजार में बहुत मिलता है लेकिन कोई फायदा नहीं करता। इसको बहुत नियम से बनाया जाता है। जब ग्रहण लगता है तो उस वक्त बनाए जाने से काम करता है। यह नियम है। वैसे ही जैसे चंद्र ग्रहण के दिन सिर्फ डोम को ही भीख दी जाती है, किसी और को नहीं, उसी तरह यह भी ग्रहण के दिन बनाने से ही काम करता है। तो तावीज मदौली इसलिए देते हैं कि कोई हवा, नजर न लगे, कभी डरे नहीं, कोई दर्द पीड़ा न हो, कोई भी दुश्मन, वगैरह न हो।

दर्द पीड़ा में जड़ी बूटी के साथ गोदना करने से दर्द में आराम होता है। गोदना कई प्रकार का होता है। एक दूध काजल का खोदा होता है। यह जोड़ों के दर्द, सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द में किया जाता है। लेकिन दर्द भी कई प्रकार का होता है। एक कनकनी दर्द होता है। एक लहर के साथ दर्द होता है, एक पूरे शरीर में दर्द होता है। सब दर्द की एक ही दवाई है-धनगैंठा। उसी को पीस कर स्याही और भाखरा सिंदूर मिला कर खोद देने से सब दर्द खत्म हो जाता है।

अब पेट का दर्द भी दो प्रकार का होता है। सागे और बारोट। हमको समझना पड़ता है कि कैसा दर्द है। लेकिन जैसा भी दर्द है हम बेरा (चाँदी का मोटा कड़ा) से दर्द को बीच में ला कर खोदा देते हैं जिससे वह गल कर मल के साथ बाहर निकल जाता है। कभी पेट में कीड़े हो जाते हैं जो अस्पताल की दवा से नहीं मरते। दागने से भी नहीं मरते। तब उसको दबा कर मालिश करते हैं, फिर उनको फँसा कर दो चार बूंद खोदा देते हैं।

हम लोग जड़ी बूटी दवा से ही ठीक होते हैं। गरीब आदमी वैसे भी मंहगी दवा सुई कहाँ से करवाएगा ? हम अपने हुनर के बदले में धूल मिट्टी को छोड़ कर बाकी सब कुछ लेते हैं- जैसे चावल, मकई, महुवा, दाल सब लेते हैं लेकिन लेते तभी हैं जब आदमी अच्छा हो जाए। जब आदमी दिल में खुश हो तभी तो खुशी से देगा। उसका मन नाराज रहेगा तो वह माँगने पर भी नहीं देगा। अगर वह ठीक है, उसकी इच्छा पूरी हो गई है तो जो भी माँगेंगे देगा। लेकिन किसी से ज्यादा नहीं माँगना चाहिए। जितनी जिसकी खुशी है, जितनी जिसकी हैसियत है उस हिसाब से ही लेना चाहिए।

जहाँ सब जाएँगे वहाँ हम भी जाएँगे

हम लोग के गोतिया में बहुत लड़ाई होता है। सब एक दूसरे से जलते हैं, उसी के चलते हम लोग यहाँ आ गए। मेरा बेटा यहीं बड़ा हुआ। गाँव वालों ने हमारी बहुत मदद की। मेरे बेटे की शादी भी कराई। यहाँ गाँव वालों ने हमको माँ बाप के समान रखा है। हम भी जो बन पड़ता है करते हैं। रात बिरात कोई बीमारी में बुला कर ले जाता है तो चले जाते हैं। यह करमाली माँझी टोला है लेकिन कोई नहीं कहता कि हम दूसरी जाति के हैं। सब हमको माँ-बाप, सास-ससुर की तरह मानते हैं। एक दिन खाना बनाने में देर हो जाए तो फौरन पूछने लगते हैं कि आज खाना क्यों नहीं बना ? गाँव के लोग कहते हैं कि जहाँ हम डेरा बनाएँगे वहाँ आप लोग का भी बनाएँगे। हम भी सोचते हैं अभी तो खदान भी सामने ही आ गई है, अगर सब आदमी इधर-उधर भाग जाएँगे तो हम कहाँ जाएँगे ? तो जिन लोगों ने हमें जगह ज़मीन दी है वे बोलते हैं कि आपको क्या चिंता है? जब जाना होगा तो जहाँ हम रहेंगे वहाँ आप भी रहिएगा। अगर भूख प्यास सहनी होगी तो वह भी सह लेंगे मिल जुल कर। इसलिए सोच लिया है कि अगर सीसीएल उठा देगी तो जहाँ सब गाँव वाले जाएँगे वहीं हम भी जाएँगे।

साक्षात्कार - 14

नाम : बालो देवी
आयु : 35 वर्ष
स्थान : तिलैया टोंगरी
भेंटकर्ता : दीपक कुमार दास

बालो देवी कुछ वर्ष पहले ही खिजूर टोला से विस्थापित हो कर तिलैया टोंगरी में आई हैं जहाँ यह किराये के मकान में रह रही हैं। यह मुण्डा पहानों के घर से हैं और इनके पति भी पुजारी हैं। इनकी काफी छोटी उम्र में ही शादी हो गई थी और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं। इसके बावजूद इन्होंने सीसीएल के विरुद्ध संघर्ष में बहुत सक्रिय हिस्सा लिया है। इन्होंने अपने क्षेत्र की औरतों को संगठित किया और उनकी नेता के रूप में आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जब किसी कारण वश इनके पति को सीसीएल में नौकरी नहीं मिली तो इन्होंने न्याय पाने की लम्बी मुहिम छेड़ दी और अपने मोर्चे पर अकेली तब तक डटी रहीं जब तक इनके पति को नौकरी नहीं मिल गई। यद्यपि इन्हें इस बात की संतुष्टि है कि इनकी कोशिशें कामयाब हुईं लेकिन विस्थापित होने के दुख और कष्ट की तुलना में यह संतुष्टि कुछ भी नहीं है।

मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी। तब मैं बच्ची थी और बच्चों के साथ खेलती थी। शादी के बाद 5 साल मैं अपने माँ-बाप के घर पर ही रही। अपनी माँ मुझे जान से प्यारी लगती थी। अभी भी लगती है। उसके साथ रहना, काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं शुरू शुरू में ससुराल आई तब मुझे यह भी नहीं मालूम था कि शादी का क्या मतलब होता है। मैं सोचती थी कि मेरे माँ-बाप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने के लिए

छोड़ गए हैं। जब मेरे देवर ने मुझे भाभी कह कर पुकारा तो मैं चिढ़ कर उसे मारने के लिए दौड़ी। हमारे ससुर खेती करते थे। मेरे तो शादी के कपड़े भी नहीं धुले थे जब मैंने भी काम करना शुरू कर दिया। हम भी खेती में हाथ बंटाते थे। जंगल से बहुत चीजें लाते थे। लकड़ी चुनते थे, काट कर बेचते भी थे और घर का सब काम भी करते थे।

अब का समय बदल गया है। पहले के ज़माने जैसा आज का ज़माना नहीं है। आजकल की बेटियाँ तो माँ से लड़ जाती हैं। कुछ कहो तो उतना कहना नहीं मानती हैं। यही टीवी देख देख कर सीख गई हैं। आजकल तो न माँ का रिश्ता है न बाप का। भाई-भाई का भी कोई रिश्ता नहीं है। पहले बड़े- बुजुर्गो और समाज का बहुत डर था। अब तो कुछ भी नहीं है।

शुरुआत में मैं ने ही औरतों से बात कर के रैली निकाली

सीसीएल ने सबसे पहले हमारी जमीन से खदान खोलनी शुरू की। उन्होंने शुरू में बस गाँव-गाँव जा जा कर माप-नाप लिया। किसी से कोई बात नहीं की। फिर जब उन्होंने हमारी ज़मीन पर से काम शुरू किया तो मैंने ही जा कर औरतों से बात की। सबको समझाया कि हमें अपनी ज़मीन के लिए कुछ करना चाहिए। फिर सबको तैयार किया कि एक दिन रैली निकालेंगे जिसमें सिर्फ हम महिला लोग ही रहेंगे। साथ ही यह सुलह विचार भी हुआ कि जो भी हथियार मिलेगा, गैंती, चिलोही, हँसुआ, सब अपने अपने हाथों में ले कर रैली में भाग लेंगी। दो तीन दिन में हमने सब तैयारी कर ली।

फिर हमने रैली निकाली। सब से पहले तो हम गए बेंती कोयला खदान। वहाँ पर 3 हॉलपैक गाड़ियाँ काम पर लगी हुई थीं। जब हम लोग नारे लगाती खदान पर पहुँचीं तो सब कर्मचारी वहाँ से भाग गए। हम लोगों ने बहुत हल्ला किया। पर कोई होता तब तो न बात करता हमसे। तो फिर हम सब लोग भी अपने अपने घर पर लौट गई।

इधर कुछ बदमाश लड़के लोगों ने भी कुछ तैयारी कर ली थी। ये लोग सब रात में खदान में गए। वहाँ तो सब हम लोगों से डर के भाग गए थे। हम नहीं जानते थे कि कहाँ

के लड़के थे, पर उन्होंने तीनों गाड़ियों में आग लगा दी और वहाँ से भाग गए। तीनों गाड़ी जल कर खाक हो गई। जिस दिन रैली निकाली उस दिन तो मुझे बहुत खुशी हुई मन में क्योंकि उसमें मेरा बहुत योगदान था। लेकिन जब दूसरे दिन गाड़ियों के जलने का पता लगा तो मन में डर लगने लगा। कि कहीं इसका इल्ज़ाम हम पर न आ जाए। हम अनपढ़ महिला, उस दिन सब से आगे आगे रैली का नेतृत्व भी मैं ही कर रही थी। फिर उस दिन कोई ऑफिसर भी नहीं मिला था जिसे रैली का उद्देश्य बताते। लगा कि कहीं हम ही न पकड़ें जाएँ।

उस दिन बहुत संख्या में महिलाएँ हमारे साथ थीं। उस दिन तो दिल में बहुत गुस्सा था कि चाहे ऑफिसर रहे या बाबू, अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो उसको मार भी देंगे। किस से पूछ कर और किस आधार पर सीसीएल ने हमारी ज़मीन पर काम शुरू किया? लेकिन जब बाद में सब अपने अपने घर चली गई और पता चला कि ऐसे ऐसे गाड़ियाँ जल गई हैं तो दिल में डर लगने लगा। हमारे सास ससुर भी बोलने लगे कि अब तो यह नेताइन बन गई है, हमको फंसा कर जान ले लेगी। जब सब हमें डाँटने लगे कि तुम ही आगे काहे थीं? तो हमने भी कह दिया कि काहे नहीं रहेंगे, जब वो हमारी ज़मीन पर खदान खोलेंगे तो हम क्या चुप रहेंगे ? फिर हमने भी ठान लिया कि हम लोग ने गाड़ियाँ जलाई तो हैं नहीं, तो अब जो होगा देखा जाएगा। जो मारेगा शरीर पर ही तो मारेगां, जान तो नहीं लेगा। 2-4 बात बोलेगा कोई तो सुन लेंगे। फिर भी घर वाले, यहाँ तक कि अगल बगल बस्ती वाले लोग भी यही कहने लगे कि तुम ही ज्यादा नेता बनती हो, तुम ही फंसोगी। हम भी डरने लगे थे।

लेकिन फिर ठीक हो गया। गाड़ियाँ जलने के बाद 3 साल तक सीसीएल का काम बंद रहा। लेकिन हमको लोग धीरे-धीरे आगे ही रखने लगे। आज भी कहीं रैली में जाना हो तो हमको ही आगे रखा जाता है। एक बार पानी सूख गया। और रैली हुई तो उसमें भी मैं हाथ में फरसी ले कर सबसे आगे आगे गई थी। आदमी लोग सबने भी यही बोला कि आप ही आगे रहिए, आप डरती नहीं हैं, फटाफट बोल लेती हैं।

औरत होने से बहुत अंतर पड़ता है। मर्द लड़ते हैं तो उनको डण्डे मारते हैं और भगा

देते हैं। पुरुषों से मारपीट कर सकते हैं। हमारे महिला होने से साहस नहीं होता कि कोई हाथ लगा सके। इज़्ज़त करते हैं। जानते हैं कि कोई हाथ भी पकड़ लेगा तो बहुत बवाल खड़ा हो जाएगा। अभी औरत को कमजोर समझते हैं लेकिन महिलाएँ बहुत ऊपर उठ सकती हैं। उन्हें थोड़ा बुद्धि लगाना होगा। 1-2 महिला संग रहेंगी तो बोल सकेंगी। साहस करेंगी तो हो जाएगा। सब साथ में रह कर एक दूसरे का सहयोग करेंगी तो ज़रूर होगा। 1 के कहने और 10 के कहने में बहुत फर्क होता है। अब सब गाँव की महिलाएँ हमसे कहती हैं कि सचमुच तुमने जो कहा था वो कर के और पा के दिखा दिया।

हमारे पति की नौकरी बहुत झंझट से लगी

3 साल बाद जब सीसीएल ने फिर से अपना काम शुरू किया तो सबसे नौकरी के फॉर्म भरवाए। हमारे संझले ससुर जो थोड़े बहुत पढ़-लिखे हैं, उन्होंने हमारे पति का नाम कटवा कर अपना नाम भरवा लिया। तो जब सबको नौकरी मिली तब हमारे पति को नौकरी नहीं मिली। हमें लगा कि कहीं वह जो गाड़ियाँ जली थीं उसकी वजह से तो यह सब नहीं हुआ। पर तब एक मुनेश्वर सिंह नाम का ऑफिसर आया था। उसने बताया कि कैसे हमारे चाचा ससुर ने नाम कटवा दिया था। उसने आश्वासन दिया कि घबराओ मत, काम हो जाएगा। लेकिन 3 साल तक कुछ नहीं हुआ।

हम ही जानते हैं कि 3 साल हमने कैसे गुजारे। हमारी सास ननद हमें खाने के लिए भी दिक्क्त करने लगीं। पति के बाहर निकलने के बाद दिन भर आधा पेट खा कर रहना पड़ता था जबकि उस समय मैंने बच्चे को जन्म दिया था। जब 3-4 दिन खाना सही नहीं मिला तो उसी जच्चा की स्थिति में मैं गंझू भगत के यहाँ घास निकाई करने चली गई। क्या करती? काम न करती तो खाती कैसे?

जब कहीं काम नहीं मिला और भूखे मरने लगे तो हमारे पति ईट भट्टे में काम करने लगे । उन्होंने कह दिया कि मैं तो काम करने चला जाता हूँ। तुम घर पर रहती हो। जब कोई सीसीएल की गाड़ी हमारी ज़मीन पर आए तो तुम उसे रोकना। गाड़ी के आगे जाकर

खड़ी हो जाना, अपने जीवन की भी परवाह मत करना। बस फिर जब कोई ड्रिल-व्रिल करने आता मैं भाला ले कर उसको दौड़ाने लगती। वे लोग बहुत डर जाते थे। कहते थे कि दीदी हमारा कसूर नहीं है। हमको तो सीसीएल भेजती है। तो मैं कहती कि तुम जाकर सीसीएल के मालिकों को बुलाओ, हम उन्हीं से लड़ेंगें, तुमसे क्यों लड़ेंगे?

एक बार की बात बताते हैं। मैं बीमार थी। कटहल के पेड़ के नीचे लेटी थी। क्योंकि उठने की भी शक्ति नहीं थी। देखा कि हमारे खेत में जो बरगद का पेड़ है उसे सीसीएल वाले डोज़र से गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो गिरता नहीं था। धक्का लगने पर झुकता था, फिर उठ जाता था। कारण कि उसमें हमारे घर के देवता निवास करते थे। यह देख कर मुझमें न जाने कहाँ से शक्ति आई और मैं तलवार उठा कर उनके पीछे भागी। जब मैंने तलवार ले कर, गाली दे कर उन लोगों को दौड़ाना शुरू किया तो वो भाग गए। तब फिर हमको पूजा का पैसा दिया, हमने देवता को वहाँ से उठाया, तब जा कर वह बरगद का पेड़ गिर सका।

सीसीएल ने हमारे साथ बहुत कपट किया है

कभी कह देते कि तुम्हारी ज़मीन नहीं है, कभी कह देते कि गैरमजुरवा ज़मीन है। हमारे पति को नौकरी घर की वजह से ही मिली है। हम घर से निकलते ही नहीं थे, चाहे ब्लास्टिंग करो चाहे धंसा दो।

6 महीने पहले से ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि घर खाली कर दो। जब हमने पूछा कि किसलिए खाली करें तो बोले कि ब्लास्टिंग होती है, आवाज़ होती है, जान माल का खतरा है। हमने कहा कि हमें तो न नौकरी मिली, न सही मुआवज़ा मिला। अब यह घर भी खाली करवाना चाहते हो, हम हरगिज़ नहीं करेंगे। जब ब्लास्टिंग करने लगते तो पहले आ कर बोलते कि खाली करो, बच्चों को ले कर दूर चली जाओ। फिर एक दिन मैंने भी बोल दिया कि यहाँ से कहीं नहीं जाएँगे। तुमको अगर देखना है तो देख लो, हम अपने बच्चों सहित वहीं जाएँगे जहाँ ब्लास्टिंग हो रही है। और तुम्हारी आँखों के सामने ही मर जाएँगे।

महिलाओं को अब कोई काम नहीं है।

सीसीएल के आने से पहले महिला लोग सब खेतों में काम करते थे। घर में भी काम करते थे। सब खेत की घास निकालते थे। बाड़ी कोड़ते थे। रोपा रोप रहे थे। सब कुछ कर रहे थे। उस समय कोई मशीन चक्की तो होता नहीं था। घर में ही धान को कूटते थे, दाल पीसते थे, ढेकी, जाटा से सब काम हाथ से ही होता था। तब तो खेती भी साल के 7-8 महीने करते ही थे। जब खेती बाड़ी था तभी महिलाओं के लिए ठीक था। कोई चीज बोते थे, बुट बटुरा होता था तो खाते थे। उस समय अरहर, धान काटते पीटते तो उसी में मन लगा रहता था। साल में 2 महीने महुआ चुनते थे उसमें मन लगा रहता था। लेकिन खदान आने के बाद से खेती बाड़ी ही नहीं बची। अब तो महिलाएँ ऐसे ही बैठी रहती हैं। बस घर के अंदर चूल्हा धराना, बर्तन मांजना, यही सब करती रहती हैं। लकड़ी झूरी लाने जाते हैं। कोयला लाते हैं, व खाना पकाते हैं, खिलाते हैं। यही सब करते हैं। कोई काम है ही नहीं तो क्या करेंगे ?

पुनिया देवी - 60 वर्ष - उपर हड़गड़ी

तुमको हमारी दुख-तकलीफ नहीं दिखती तो हमको ब्लास्टिंग नहीं दिखाई देती। हम बच्चों समेत वहाँ आराम से बैठेंगे, तुम चैन से अपनी ब्लास्टिंग करना। अब तो वहीं मरेंगे। बस बच्चों को साथ लिया और बैठ गए वहाँ जा कर। मन में सोचा कि वैसे भी घर में भूखे मरना है तो यहीं मर जाएँ, कम से कम सीसीएल कम्पनी को अच्छा नहीं लगेगा। नौकरी यह लोग देते नहीं, खेती है नहीं, तो ज़िन्दा रह कर क्या करेंगे?

वहाँ एक गाड़ी का ड्राइवर बोला कि यहाँ इतना बारूद मशीन लगाए हैं और तुम काम रोक कर सब बर्बाद कर रही हो, ब्लास्टिंग नहीं करने दे रही हो। इतना सब नुकसान का ज़िम्मा क्या तुम लोगी? हमको इतना गुस्सा आया कि हम उसको गाड़ी की खिड़की से खींचने लगे। एक हाथ में चप्पल थी, एक हाथ में बच्चा। हमने बहुत गाली दी और कहा तुम हमारे जीवन का ज़िम्मा ले रहे हो। हम पाँच छः जान का ज़िम्मा तुम ले लो, तुम्हारे बारूद का ज़िम्मा मैं लेती हूँ। उसको तो मैं उस दिन मार ही देती।

सीसीएल ने हमारे घर गार्ड भेजे। पुलिस फोर्स भेजी। हमारे सास ससुर को पैसा दे कर

समझाने के लिए कहा । लेकिन जो भी आया हमने तलवार या भाला उठा लिया और सड़क तक दौड़ाते चले गए। मुनेश्वर सिंह को भी कहना पड़ा कि तुम बहुत साहसी औरत हो, अपने माँ बाप की शेरनी बेटी हो।

हमारे पति को नौकरी हमारे साहस की वजह से मिली

जब सीसीएल ने देख लिया कि हम पूरा मोर्चा अकेले ले रहे हैं और अपनी जगह पर डटे हुए हैं तो उन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाहा कि 6 महीने बाद नौकरी दे देंगे। हमने पूछा की 6 महीने क्या हम धूल चाटेंगे? हमने कहा कि ठीक है 6 महीने तुम भी खाना मत खाना, हम भी खाना नहीं खाएँगे। देखें तुम कितना उपवास कर सकते हो? ऐसे बात करते करते 3 महीने पर आ गए। कहने लगे लेकिन घर खाली करना पड़ेगा। मैंने कह दिया कि जब तक नौकरी नहीं दीजिएगा तब तक किसी हालत में भी घर नहीं खाली करूँगी। 3 महीने तक मैं उसी खिजूर टोला वाले घर में डटी रही। पहले परिवार वाले साथ थे। फिर वे भी तिलैया टोंगरी आ गए। बड़े बूढ़े कहने लगे कि बहुत नेता बन रही है। अभी पढ़ी लिखी नहीं है। अगर एक अक्षर भी पढ़ गई होती तो क्या का क्या करती। लेकिन हमने भी सोच लिया था कि जब तक नौकरी नहीं होगी हम घर से नहीं जाएँगे चाहे मर क्यों न जाएँ। घर वाले भी उल्टा सीधा बोलने लगे। यहाँ तक कि पति ने भी पूछा कि तुम पागल तो नहीं हो गयी हो? मैंने कहा मैं अपने बच्चों के जीवन को बेकार नहीं करूँगी। नौकरी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। मैं उस घर में बिल्कुल अकेली रहती थी। लेकिन कभी कोई डर भय नहीं लगता था।

जब 3 महीने बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैंने फिर जा कर काम बंद कर दिया। जब काम बंद हो गया तो 2 गाड़ी फोर्स आई। पी.ओ. साहब और पूरा स्टाफ़ आया। किसी को हमसे बात करने का साहस नहीं हो रहा था। मैंने पूछा क्या आपने 3 महीने खाना खाया कि भूखे रहे ? मुझसे पूछो कि मैंने 3 महीने कैसे गुजारे। मैं बिना नौकरी लिए घर नहीं खाली करूँगी। इतना सुना तो कहने लगे कि अभी मेरे पति को गार्ड का काम दे देंगे, बाद में परमानेन्ट कर देंगे। मैंने कहा गार्ड- फार्ड का काम कोई नहीं करेगा। खुद ही चोरी करवा

बिक्री के लिए सड़क के किनारे से कोयला उठाती आदिवासी महिला।

कर आप मेरे पति पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे। तब हम क्या करेंगे? आप हमको ठग रहे हैं। तब वे समझ गए कि यह एक बहुत चालाक औरत है। फिर अगले दिन से ही नौकरी शुरू कर देने के लिए मान गए और हमारे पति को नौकरी मिल गई।

सीसीएल के आने के बाद से महिलाओं का शोषण ज्यादा हो रहा है

जब मैं अपने पति को नौकरी दिलाने में कामयाब हो गई तो दिल में बहुत खुशी हुई, बहुत साहस लगा। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया कि हमारे नाम से नौकरी दिया जाए, हमारे पति तो एब्सेंट भी हो जाएँगे लेकिन हम कभी गैरहाजिर नहीं होंगे। लेकिन सब अफसरों ने समझाया कि महिला लोग सब अपने पति बेटे के नाम से नौकरी करवा रही हैं। तो हमने भी बात मान ली।

लेकिन अब बहुत बुरा लगता है। विस्थापित होने का कष्ट सिर्फ हम ही जानते हैं। पहले गाँव हरा भरा बगीचा लगता था। अब तो है सिर्फ़ धूल, मिट्टी, कोयला, पत्थर और गड्ढे। फिर सीसीएल ने कोई ज़मीन भी नहीं दी है। किराये पर रह रहे हैं। अपने घर और

दूसरे के घर में रहने में बहुत अंतर होता है। पहले अपनी सब्जी, अपना अनाज उगाते थे, उसी को खाते थे। अब तो एक एक दाना बाजार से लाते हैं। इतना लड़े तब जा कर 1 नौकरी मिली। कर्ज़े से गर्दन झुक गई है। नौकरी खत्म हो जाएगी तो कैसे करेंगे ? ज़मीन होती तो बाल बच्चे कैसे भी जीते। पर वह भी नहीं बची।

पहले हम महिला लोग बराबर का काम करते थे। खेत में भी और घर में भी। अब सिवा पति के इंतजार के और कोई काम नहीं है। आज पति कमाता है और हम खाते हैं। पहले मिल कर काम करते थे। हमारा बराबर का अधिकार था। आज तो पति कभी कह भी देता है कि हम कमाते हैं तो तुम खाती हो। पहले अगर पति कहता कि हमारे पैर दबा दो तो कह देते थे कि आप थके हुए हैं तो हम भी तो थके हुए हैं। आजकल तो पानी गरम कर के दो तो नहाएगा। नहा कर तेल मालिश भी करवाएगा। अब तो उसकी हर बात माननी पड़ती है, आखिर उसी की कमाई तो हम खा रहे हैं। अगर उठा कर 2 थप्पड़ मार भी देगा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सीसीएल के आने के बाद से महिलाओं का शोषण ज्यादा हो रहा है। नौकरी भी नहीं दी महिलाओं को और हर तरीके से उनको अफ़सोस करवा दिया।